



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री



श्री केदार कश्यप
माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग



प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2023–24



दिनांक 10.01.2024 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ली गई कैबिनेट
बैठक



प्रशासकीय प्रतिवेदन 2023–2024

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय	
माननीय मंत्री	श्री केदार कश्यप
विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो (आई.ए.एस.)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	श्री डी. एन. गिदरोनिया
अवर सचिव	श्री प्रेम सिंह घरेन्द्र

विभागाध्यक्ष	
प्रमुख अभियंता	श्री इन्द्रजीत उड्के

विभाग के मण्डल एवं प्राधिकरण	
इन्द्रावती विकास प्राधिकरण	माननीय अध्यक्ष – श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
अरपा विकास प्राधिकरण	माननीय अध्यक्ष – श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हेलपमेंट कार्पोरेशन (CIDC)	माननीय अध्यक्ष – श्री केदार कश्यप, मंत्री जल संसाधन विभाग प्रबंध संचालक – श्री संजय कुमार ओझा (आई.एफ.एस.)



जिला – बस्तर स्थित कोसारटेडा जलाशय



तांदुला परिसर एवं भारत रत्न मोक्षगुण्डम विश्वेश्वरैया मूर्ती स्थल

अनुक्रमणिका


स.क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	विभागीय संरचना	
2.	विभाग के दायित्व	
3.	विभागीय समान्य जानकारी	
4.	विभागीय सिंचाई सांख्यिकी	
5.	विभागीय बजट एवं राजस्व	
6.	अभिनव कार्य योजना	
7.	पी.आई.एम. (सहभागिता सिंचाई प्रबंधन)	
8.	पारदर्शी निविदा आमंत्रण एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली	
9.	जल नीति एवं जल स्थिरता विधेयक—2022	
11.	भविष्य की योजनाएं	
12.	अन्तर्राज्यीय जल विवाद	
13.	विगत् तीन वर्षों की उपलब्धियाँ	
14.	विभागीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा	
15.	सफलता की कहानियाँ	



माह अप्रैल में महानदी जल विवाद न्यायाधीकरण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत महानदी पर स्थित स्ट्रक्चरों का निरीक्षण करने आयी टीम



दिनांक 22.04.2023 को महानदी जल विवाद न्यायाधीकरण की टीम द्वारा राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना का निरीक्षण



भाग – 1

विभागीय संरचना

1.1 सामान्य

शासन की मंशा के अनुरूप विभाग का मूल दायित्व जल का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए प्रदेश में सिंचाई क्षमता का विकास कर अधिक से अधिक कृषकों तक सिंचाई का लाभ पहुंचाना है। इस हेतु विभाग द्वारा वर्तमान एवं भविष्य की जल आवश्यकताओं का, राज्य एवं जिला स्तर पर आंकलन एवं उसकी पूर्ति के लिये उपाय हेतु कार्य योजना बनायी गई है।

जल एक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान संसाधन है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल संसाधन विभाग प्रदेश के सर्वांगीण विकास में जल के संरक्षण एवं प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने तथा राज्य में कृषि, पेयजल, निस्तारी एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग का मूल दायित्व न केवल प्रदेश में सिंचाई क्षमता का विकास करना है, बल्कि बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन एवं नवीन योजनाओं का सर्वेक्षण, निर्माण एवं निर्मित संसाधनों का रखरखाव करना भी है। राज्य में जल संसाधनों का युक्तियुक्त एवं मितव्ययिता पूर्ण उपयोग संभव बनाने आवश्यक विधिक प्रावधानों का सृजन एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करना भी विभाग का ही दायित्व है, साथ ही बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं बनाना एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितियों का आंकलन कर जल संवर्धन योजनाएं प्रस्तावित करना भी शामिल है।

1.2 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर

जल संसाधन विभाग का विभागाध्यक्ष प्रमुख अभियंता होते हैं। प्रमुख अभियंता के अधीन 5 मुख्य अभियंता मैदानी क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा मुख्य अभियंता राज्य बांध सुरक्षा संगठन कार्यरत है एवं मुख्य अभियंता (प्रबोधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त बोधघाट परियोजना हेतु एक मुख्य अभियंता का मैदानी कार्यालय जगदलपुर में खोला जाना प्रस्तावित है। मुख्य अभियंता अपने कार्यक्षेत्र में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त जल संवर्धन योजनाएं यथा एनीकट, स्टापडेम तथा औद्योगिक बैराज का निर्माण संबंधी कार्यों के नियंत्रण अधिकारी हैं। मुख्य अभियंतावार कार्यक्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

(i) मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना (मुख्यालय – रायपुर)

मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :–

वृहद परियोजना – महानदी परियोजना समूह {रविशंकर सागर (गंगरेल) जलाशय, मुरुमसिल्ली जलाशय (जिला धमतरी), दुधावा जलाशय (जिला कांकेर) एवं डॉ. खूबचंद बघेल (रुद्री) बैराज (जिला धमतरी)}, सोंदूर जलाशय (जिला धमतरी) एवं राजीव समोदा (निसदा) व्यपवर्तन योजना (जिला रायपुर)।

मध्यम परियोजना – परालकोट जलाशय, मयाना जलाशय (जिला कांकेर), पं. लखनलाल मिश्र (पेण्ड्रावन) जलाशय (जिला रायपुर), कोसारटेडा जलाशय (जिला बस्तर), झीरम नदी व्यपवर्तन योजना (जिला सुकमा)।

लघु सिंचाई योजना – जिला रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार–भाटापारा, बालोद, कोणडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(ii) मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार (मुख्यालय – रायपुर)

मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :–

वृहद परियोजना – तांदुला जलाशय परियोजना (जिला बालोद), सिकासार (पैरी परियोजना) जलाशय (जिला गरियाबंद), शहीद वीर नारायण सिंह (कोडार) जलाशय (जिला महासमुंद) एवं जोंक व्यपवर्तन योजना (जिला बलौदाबाजार-भाटापारा)।

मध्यम परियोजना – कुम्हारी जलाशय (जिला रायपुर), बलार जलाशय (जिला बलौदाबाजार-भाटापारा), केशवानाला जलाशय, अपर जोंक परियोजना (जिला महासमुंद), गोंदली जलाशय, खपरी जलाशय, मरोदा जलाशय (जिला दुर्ग), खरखरा जलाशय (जिला बालोद), मटियामोती जलाशय, मोंगरा बैराज, घुमरिया बैराज, रुसे जलाशय, धारा जलाशय, पिपरियानाला जलाशय, शिवनाथ व्यपवर्तन योजना, सूखानाला बैराज (जिला राजनांदगांव), सरोदा जलाशय, छीरपानी जलाशय, बेहराखार जलाशय, सुतियापाट जलाशय, कर्णनाला बैराज (जिला कबीरधाम)।

लघु सिंचाई योजना – जिला रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, महासमुन्द, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कबीरधाम एवं बेमेतरा की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(iii) मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना (मुख्यालय – बिलासपुर)

मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :–

वृहद परियोजना – मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना (जिला कोरबा) एवं दिलीप सिंह जुदेव (केलो) परियोजना (जिला रायगढ़)।

लघु सिंचाई योजना – जिला रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, सकती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(iv) मुख्य अभियंता, हसदेव कछार (मुख्यालय – बिलासपुर)

मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :–

वृहद परियोजना – खारंग जलाशय परियोजना, अरपा-भैसाझार परियोजना (जिला बिलासपुर), मनियारी जलाशय परियोजना (जिला मुंगेली)।

मध्यम परियोजना – घोंघा जलाशय परियोजना (जिला बिलासपुर), केदारनाला जलाशय, पुटका जलाशय, किंकारी जलाशय, खम्हारपाकुट जलाशय, मांड व्यपवर्तन (जिला रायगढ़)।

लघु सिंचाई योजना – जिला बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेणझा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सकती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(v) मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार (मुख्यालय – अंबिकापुर)

मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :–

मध्यम परियोजना — झुमका जलाशय, गेज जलाशय (जिला कोरिया), कुंवरपुर जलाशय, बांकी जलाशय, श्याम घुनघुट्टा जलाशय, श्याम बरनई जलाशय (जिला सरगुजा)।

लघु सिंचाई योजना — जिला सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(vi) मुख्य अभियंता (प्रबोधन)

मुख्य अभियंता (प्रबोधन), कार्यालय प्रमुख अभियंता में संलग्न अधिकारी हैं। मुख्य अभियंता (प्रबोधन) का दायित्व विभाग की निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं की मानिटरिंग के साथ केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं, नाबाड़ के अंतर्गत संचालित योजनाओं, विभागीय बजट, निविदा संबंधी कार्य एवं समस्त तकनीकी स्वरूप के कार्यों का संपादन करना है।

(vii) मुख्य अभियंता (राज्य बॉध सुरक्षा संगठन)

मुख्य अभियंता (राज्य बॉध सुरक्षा संगठन) का दायित्व राज्य के अंतर्गत बांध सुरक्षा अधिनियम में निर्देशित बांधों का निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करना, बांधों का रख रखाव एवं मरम्मत तथा बांधों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपचार बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का विवरण

जल संसाधन विभाग में 01 प्रमुख अभियंता, 05 मुख्य अभियंता, 14 मंडल, 62 संभाग एवं 291 उपसंभाग के अतिरिक्त 05 गुण नियंत्रण ईकाई के कार्यालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 03 निगम/प्राधिकरण भी हैं :—

1. छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हेलपमेंट कार्पोरेशन (CIDC)
2. इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण
3. अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण

1.4 विद्युत/यांत्रिकी संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य में 08 वृहद, 38 मध्यम एवं 3299 लघु योजनाओं को मिलाकर कुल 3345 सिंचाई योजनाएं संचालित हैं, जिसमें वि./यां. संबंधी लगभग समस्त प्रकार के लघु एवं दीर्घ जलद्वार उद्वहन सिंचाई योजनाएं, 30 नलकूप योजनाओं के साथ-साथ भारी मशीनरी कम्पेक्शन यूनिट एवं लगभग 500 निरीक्षण वाहन व परिवहन आदि से संबंधित परिसंपत्तियों के संचालन, मरम्मत व रख-रखाव (सामान्य व आपातकालीन स्थिति में) का कार्य PWD Manual के अनुसार कराये जाने हेतु अधीक्षण अभियंता, वि./यां., जल संसाधन मण्डल, रायपुर तथा अधीक्षण अभियंता, वि./यां. जल संसाधन मण्डल, सकरी, बिलासपुर का विधिवत् संचालन किया जा रहा है।

भाग – 2

विभाग के दायित्व

जल संसाधन विभाग का दायित्व प्रदेश में सतही जल तथा भू-जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास करना है। इनमें मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :—

- जल संसाधनों का सुनियोजित विकास इस प्रकार करना, जो पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय (Sustainable) हो।
- राज्य में जल संसाधन का आंकलन करना और संपूर्ण जल सेक्टर के लिये व्यापक योजना बनाने की नीति निर्धारित करना तथा जल के समन्वित उपयोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत (गाइड लाइन) जारी करना।
- सूखा प्रभावित तथा वृष्टिछाया क्षेत्रों (Rainshadow Areas) में जल संसाधन के विकास के हर संभव प्रयास करना, जो तकनीकी दृष्टि से साध्य हो।
- कृषि, पेयजल एवं निस्तारी तथा उद्योगों हेतु आवश्यक जल व्यावहारिक दरों पर उपलब्ध कराना।
- सिंचित कमांड एरिया में सिंचाई तथा जल निकास कार्यों का नीति निर्धारण करना और संसाधन प्राप्त करने की भूमिका निभाना।
- जल संसाधनों के विकास एवं संधारण में जल उपभोक्ता संथाओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- योजनाओं का सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा विस्तृत रूपांकन कर परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना।
- वृहद, मध्यम एवं लघु योजनाएं (जलाशय, व्यपर्वर्तन, उद्वहन, नलकूप, एनीकट/स्टापडेम) एवं औद्योगिक बैराज का निर्माण तथा निर्मित योजनाओं का रखरखाव, संचालन इत्यादि।
- बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं बनाना तथा अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना तैयार करना।
- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितियों का आंकलन कर जल संवर्धन योजनाएं प्रस्तावित करना।
- खुली नहर के स्थान पर पाईप लाईन का उपयोग कर अधिक सिंचाई एवं फसल चक्र हेतु सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं तैयार करना।
- विभागीय अभियंताओं एवं कर्मचारियों को समयबद्ध कार्यक्रम में प्रशिक्षण देना।

2.1 जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य

2.1.1 प्रमुख अभियंता

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष के साथ शासन के तकनीकी सलाहकार है। इनका कार्य मुख्य अभियंताओं के कार्यों को समन्वित करना है। मुख्य उत्तरदायित्व निम्नानुसार है :—

- कार्य योजना तैयार करना।
- बजट बनाना।
- वित्तीय आबंटन संबंधी कार्य।
- स्थापना से संबंधित कार्य।
- विकास एवं अनुसंधान तथा नियंत्रण एवं पालन।
- मुख्य अभियंताओं एवं शासन के साथ समन्वय।

2.1.2 मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कछार एवं परियोजना के प्रमुख हैं। अपने संरचना अंतर्गत लोक कार्यों एवं समस्त निर्माण कार्यों के त्वरित एवं युक्ति संगत क्रियान्वयन के लिये तकनीकी सलाहकार के रूप में प्रतिस्थापित है। मुख्य उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :—

- योजना बनाना।
- कार्यों का क्रियान्वयन।
- वित्तीय अनुशासन लागू करना।
- शोध एवं विकास कार्य।

2.1.3 अधीक्षण अभियंता

अधीक्षण अभियंता, मण्डल के प्रभार में रहते हुये अपने क्षेत्र के अधीन निर्माण कार्य, लेखा कार्य, रूपांकन, अनुसंधान इत्यादि कार्यों के संपादन के लिये उत्तरदायी हैं। अधीक्षण अभियंता ऐसे सभी आदेशों एवं निर्देशों के लिये भी उत्तरदायी हैं, जो उन्हें समय—समय पर वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त होते हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता एवं अन्य संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिये नियंत्रणकर्ता अधिकारी हैं।

2.1.4 कार्यपालन अभियंता

कार्यपालन अभियंता, संभागीय कार्यालय का शीर्ष अधिकारी है। मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के नियंत्रण में रहते हुये उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन, गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण एवं वित्तीय भुगतान के प्रति पूर्ण उत्तरदायी हैं। कार्यपालन अभियंता का कार्य क्षेत्र विस्तृत है, जिसमें योजना तैयार करना, निर्माण कार्य, रख—रखाव एवं अन्य समस्त यांत्रिकी कार्यों का समावेश है। इन कार्यों को नियंत्रण में रखते हुये, सफलतापूर्वक इनके द्वारा क्रियान्वयन किया जाना है। योजनाओं के अनुसंधान, निर्माण कार्य एवं रख—रखाव से संबंधित समस्त कार्यों का प्रभावी ढंग से निष्पादन करने का उत्तरदायित्व कार्यपालन अभियंता का है।

2.1.5 सहायक अभियंता

सहायक अभियंता, अनुविभाग के प्रभार में रहते हुये अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्यों के सफल क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्वक निर्माण एवं वित्तीय भुगतान के प्रति मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। सहायक अभियंता अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से ड्राईंग के अनुरूप, विभागीय मापदण्ड एवं नियमानुसार कार्यों के सम्पादन के लिये भी उत्तरदायी हैं।


अनुविभागीय अधिकारी के प्रभार में रहते हुये सहायक अभियंता को अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई राजस्व वसूली के लिये नहर प्रतिसमाहर्ता के रूप में केनाल डिप्टी कलेक्टर के अधिकार प्राप्त हैं। इन्हें सिंचाई राजस्व वसूली के दायित्व का भी निर्वहन करना है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सहायक अभियंता के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में परियोजना के सर्वेक्षण कार्य, अनुसंधान एवं ड्राईंग बनाने का कार्य किया जाता है एवं वित्तीय आदान-प्रदान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त किया जाता है।

2.1.6 उप अभियंता

उप अभियंता, वास्तविक रूप से अपने प्रभार के निर्माण कार्यों के निष्पादन में विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है। जल कर वसूली के लिये इन्हें अतिरिक्त तहसीलदार के समकक्ष अधिकार प्राप्त हैं एवं सिंचाई जल वितरण के लिये वह सक्षम प्राधिकृत अधिकारी है।




**विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 06.01.2024 को ली
गई विभागीय बैठक**



भाग – 3

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 44.57 प्रतिशत बनाऊदित है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में कुछ वृष्टिशाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से सम्पन्न हैं। प्रदेश की नदियाँ सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। भौगोलिक संरचना अनुसार प्रदेश को पांच नदी क्षेत्रों में विभक्त किया गया है यथा गंगा क्षेत्र उत्तर में, नर्मदा क्षेत्र पश्चिम में, ब्राम्हणी क्षेत्र उत्तर पूर्व में, महानदी क्षेत्र मध्य में और गोदावरी क्षेत्र दक्षिण में स्थित है। इन नदी क्षेत्रों का जल ग्रहण क्षेत्र निम्नानुसार है :–



संक्र.	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
1	महानदी क्षेत्र	77.432	56.15
2	गोदावरी क्षेत्र	39.497	28.64
3	गंगा क्षेत्र	18.789	13.63
4	ब्राम्हणी क्षेत्र	1.423	1.03
5	नर्मदा क्षेत्र	0.759	0.55
योग :-		137.900	100

प्रदेश में विभिन्न खोतों से आंकलित सतही जल की मात्रा 48296 मि.घ.मी. है, जिसमें से 41720 मि.घ.मी. जल उपयोग में लाया जाना संभावित है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11630 मि.घ.मी. है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 49.50 प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश की कुल 146 विकासखण्ड में से 119 विकासखण्ड भू-जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में, 22 विकासखण्ड आंशिक संकट की श्रेणी में, 05 विकासखण्ड संकटपूर्ण श्रेणी में आंकलित है।

3.1 प्रमुख विशेषताएँ

छत्तीसगढ़ का कुल बोया गया क्षेत्र 57.03 लाख हेक्टेयर तथा निरा बोया क्षेत्र 46.30 लाख हेक्टेयर है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में सिंचाई क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2028 तक उपलब्ध सतही जल से 32 लाख हेक्टेयर रक्बे में सिंचाई क्षमता प्राप्त कर 100 प्रतिशत सिंचाई क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3.1.1. STATE SPECIFIC ACTION PLAN (SSAP) on Water Sector :-

सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) के अंतर्गत जल क्षेत्र पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के आंकलन हेतु सभी राज्यों के लिए जल क्षेत्र पर राज्य विशेष कार्य योजना (SSAP on Water Sector) तैयार कर रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में एक प्रारूप प्रतिवेदन (Draft Report) राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान (NIT) रायपुर की विशेषज्ञता में तैयार की गई है। अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मुख्य उद्देश्य :—

1. राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य — जल उपयोग क्षमता में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि करना।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में जल संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों का आंकलन करना।
4. राज्य का “वार्षिक जल-बजट” तैयार करना।
5. राज्य और उनके नागरिकों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में क्रियाकलाप को बढ़ावा देना।
6. वर्ष 2050 तक के लिये जल सुरक्षा, बचत और सततता आधारित एक विस्तृत और एकीकृत जल-योजना तैयार करना।
7. वर्तमान और भविष्य की जल आवश्यकताओं, चुनौतियों और उनके समाधान की रणनीति बनाना।

8. वर्तमान और पूर्व आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर जल की उपलब्धता और मांग का वैज्ञानिक अध्ययन करना।

निर्मित योजनाएँ

3.2.1 वृहद परियोजना – 08 वृहद परियोजना जिसमें महानदी परियोजना समूह (रविशंकर सागर जलाशय, मुरुमसिल्ली जलाशय, दुधावा जलाशय), तांदुला जलाशय, सिकासार (पैरी) जलाशय, शहीद वीर नारायण सिंह (कोडार) जलाशय, जोंक व्यपवर्तन, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, खारंग जलाशय एवं मनियारी जलाशय परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण है।



तांदुला वृहद सिंचाई परियोजना, जिला—बालोद

3.2.2 मध्यम परियोजना – 38 मध्यम परियोजना जिसमें कुम्हारी जलाशय, बलार जलाशय, केशवानाला जलाशय, अपर जोंक परियोजना, गोंदली जलाशय, खपरी जलाशय, मरोदा जलाशय, खरखरा—मोंहदीपाट परियोजना, मटिया मोती जलाशय, मोगरा बैराज, घुमरिया नाला बैराज, रुसे जलाशय, धारा जलाशय, पिपरियानाला जलाशय, शिवनाथ व्यपवर्तन, सरोदा जलाशय, छिरपानी जलाशय, बहेराखार⁸ शय, सुतियापाट जलाशय, कर्णनाला बैराज, परालकोट जलाशय, मयाना जलाशय, झीरम नदी व्यपवर्तन, पं. लखनलाल मिश्र (पेण्ड्रावन) जलाशय, कोसारटेडा जलाशय, घोंघा⁷ शय, केदारनाला जलाशय, पुटका जलाशय, किंकारी जलाशय, खम्हारपाकुट जलाशय, मांड व्यपवर्तन, झुमका जलाशय, गेज जलाशय, कुंवरपुर जलाशय, बांकी जलाशय, श्याम घुनघुट्टा जलाशय एवं बरनई जलाशय एवं सूखानाला बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण है।



मल्हनिया टैंक, मध्यम सिंचाई परियोजना जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

- 3.2.3 **लघु सिंचाई योजना** – वृहद एवं मध्यम योजनाओं के अलावा 2472 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित हैं।
- 3.2.4 **एनीकट/स्टापडेम** – 827 एनीकट/स्टापडेम/बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण है। इसका निर्माण निस्तारी, भूजल संवर्धन एवं नदी तट के समीप के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।



घोंघा नाले पर निर्मित भकुरा (नवापारा) एनीकट योजना

वृहद परियोजना (निर्मित)

स.क्र.	परियोजना का नाम	जिला	उपयोगी जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	आरक्षित जल की मात्रा (मि.घ.मी.)				रूपांकित क्षेत्र		
				उद्योग	पेयजल	निस्तारी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	महानदी परियोजना समूह	रायपुर	1213.00	84.96	90.62	71.14	246.72	124951	0	124951
		बलौदा बा०						68320	0	68320
		धमतरी						63368	0	63368
		बालोद						18106	0	18106
		योग	1213.00	84.96	90.62	71.14	246.72	274745	0	274745
2	तांदुला जलाशय	बालोद	302.31	0	0	100.00	100.00	32656	0	32656
		दुर्ग						56015	0	56015
		बेमेतरा						16245	0	16245
		योग						104916	0	104916
3	सिकासार (ऐरी) जलाशय	गरियाबंद	198.88	0	0	39.77	39.77	34118	23472	57590
		धमतरी						12146	10523	22669
		योग	198.88	0	0	39.77	39.77	46264	33995	80259
4	कोडार जलाशय	महासमुंद	149.02	0	0	29.80	29.80	16791	6718	23509
5	जोँक व्यपवर्तन	ब.बा.—भाटापारा	0	0	0	0	0	6670	0	6670
		सरंगढ़—बिलाईगढ़	0	0	0	0	0	8299	0	8299
6	मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना	कोरबा	2894.33	414.67	14.00	0	428.67	6676	4178	10854
		जांजगीर—चांपा						143263	99214	242477
		सकती						96200	66770	162970
		रायगढ़						11911	8338	20249
		योग						258050	178500	436550
7	खारंग जलाशय	बिलासपुर	190.32	0	0	26.50	26.50	48810	7500	56310
8	मनियारी जलाशय	मुर्गेली	147.70	0	0	18.81	18.81	52238	3000	55238
	योग 8 निर्मित वृहद परियोजनायें		5095.56	499.63	104.62	286.02	890.27	816783	229713	1046496



साँदूर वितरक नहर

3.2 निर्माणाधीन योजनाएं

3.3.1 वृहद परियोजना – 04 वृहद परियोजनायें, जिसमें अरपा भैसाझार परियोजना, केलो परियोजना, राजीव समोदा (निसदा) व्यपर्वतन परियोजना एवं सोंदूर जलाशय परियोजना निर्माणाधीन हैं।

- (i) **अरपा भैसाझार परियोजना** – मुख्यमंत्री पलेगशिप योजना अंतर्गत शामिल यह परियोजना बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा विकासखण्ड में ग्राम-भैसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। परियोजना की पुनरीक्षित लागत रु. 1141.90 करोड़ है। योजना के पूर्ण होने से लगभग 25000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी, जिससे बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकासखण्ड के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। योजना का शीर्ष कार्य 100 प्रतिशत एवं नहर कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 2023 तक 13,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। योजना को जून 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस वर्ष इस योजना की निर्माणाधीन वितरक प्रणाली से 12,970 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।
- (ii) **केलो परियोजना** – केलो जलाशय परियोजना से रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले के 175 ग्रामों की 22810 हेक्टेयर भूमि में खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ-साथ रायगढ़ शहर के पेयजल हेतु 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना के निकट स्थापित उद्योगों को 4.44 मि.घ.मी. जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की पुनरीक्षित लागतरु. 972.22 करोड़ है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना से दिसम्बर 2023 तक 17,475 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन कर लिया गया है। योजना का शीर्ष कार्य 99 प्रतिशत एवं नहर कार्य 82.50 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, कार्य प्रगति पर है। योजना को जून 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस वर्ष इस योजना से 8518 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है।



केलो बांध



राजीव समोदा (निसदा) व्यपर्वतन

- (iii) **राजीव समोदा (निसदा) व्यपर्वतन परियोजना** – राजीव समोदा (निसदा) व्यपर्वतन योजना के प्रथम चरण का कार्य मई 2006 में पूर्ण कर 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। योजना के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु रु. 114.45 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। इसके अंतर्गत 28000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु लगभग 70 कि.मी. लंबाई की मुख्य नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष इस योजना से 920 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है।
- (iv) **सोंदूर जलाशय परियोजना** – सोंदूर जलाशय परियोजना धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगरी तहसील के ग्राम मेचका के पास सोंदूर नदी पर स्थित है। योजना का शीर्ष

कार्य पूर्ण है एवं नहर कार्य प्रगति पर है। योजना की पुनरीक्षित लागत रु. 625.32 करोड़ है। योजना से नगरी सिहावा आदिवासी बाहूल्य क्षेत्र के 66 ग्राम लाभान्वित होंगे। योजना की रूपांकित सिंचाई 160508 हेक्टेयर के विरुद्ध 11888 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन कर लिया गया है। इस वर्ष इस क्षेत्र में 8319 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है।



सोंदूर जलाशय परियोजना

भाटापारा शाखा नहर — भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 0.00 से 45.00 तक (महानदी जलाशय योजना अंतर्गत) भाग की रूपांकित क्षमता 17882 हेक्टेयर है, जिसके विरुद्ध 17882 हेक्टेयर में सिंचाई सृजित की जा चुकी है एवं वर्ष 2023–24 में 11804 हेक्टेयर में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है एवं भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 45.00 से 61.00 तक (सोंदूर जलाशय योजना अंतर्गत) भाग की रूपांकित क्षमता 26210 हेक्टेयर है, जिसके विरुद्ध 21455 हेक्टेयर में सिंचाई सृजित की जा चुकी है एवं वर्ष 2023–24 में 13607 हेक्टेयर में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है। इसी प्रकार भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 61.00 से 85.715 तक (राजीव समोदा व्यपर्वतन अंतर्गत) भाग की रूपांकित क्षमता 23908 हेक्टेयर है, जिसके विरुद्ध 18000 हेक्टेयर में सिंचाई सृजित की जा चुकी है एवं वर्ष 2023–24 में 11715 हेक्टेयर में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है। योजना की समेकित रूपांकित क्षमता एवं सृजित सिंचाई तथा वास्तविक सिंचाई निम्नानुसार है :—

स.क्र.	नहर का नाम	रूपांकित रकबा	दिसम्बर 2023 की स्थिति में सृजित रकबा	वर्ष 2023–24 में की गयी खरीफ सिंचाई
01	भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 0.00 से 45.00 तक (महानदी जलाशय वृहद परियोजना अंतर्गत)	17882	17882	11804
02	भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 45.00 से 61.00 तक (सोंदूर जलाशय वृहद परियोजना अंतर्गत)	26210	21455	13607
03	भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 61.00 से 85.715 तक (राजीव समोदा डायवर्सन वृहद परियोजना अंतर्गत)	23908	18000	11715
योग :—		68000	57337	35205



भाटापारा शाखा नहर

3.3.2 लघु सिंचाई योजना – 366 लघु सिंचाई योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.3.3 एनीकट/स्टापडेम/बैराज – 256 एनीकट/स्टापडेम का निर्माण कार्य प्रगति पर है।



गाड़ाघाट एनीकट, जिला – बिलासपुर



परालकोट बांध, जिला— कांकेर

वृहद परियोजना (निर्माणाधीन)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	उपयोगी जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	आरक्षित जल की मात्रा (मि.घ.मी.)				रूपांकित क्षेत्र			
				उद्योग	पेयजल	निस्तारी	योग	खरीफ	रबी	योग	
1	अरपा भैंसाझार परियोजना	बिलासपुर	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25000	0	25000	
2	केलो परियोजना	रायगढ़	61.95	4.44	4.44	0.00	8.88	21596	0	21596	
		सकती						1214	0	1214	
		योग	61.95	4.44	4.44	0.00	8.88	22810	0	22810	
3	राजीव समोदा व्यपवर्तन	रायपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	28000	0	28000	
4	सोंदूर परियोजना	धमतरी	179.61	0.00	0.00	60.50	60.50	16686	0	16686	
		बलौदाबाजार						27090	0	27090	
		योग	179.61	0.00	0.00	60.50	60.50	43776	0	43776	
योग निर्माणाधीन 4 वृहद परियोजनायें			263.74	4.44	4.44	60.50	69.38	119586	0	119586	
महायोग निर्मित, निर्माणाधीन कुल 12 वृहद परियोजनायें			5359.30	504.07	109.06	346.52	959.65	936369	229713	1166082	

3.3.4 छ: औद्योगिक बैराज

प्रस्तावित छ: बैराज यथा समोदा बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज, साराडीह बैराज, कलमा बैराज एवं शिवरीनारायण बैराज का कार्य पूर्ण है। इन बैराजों से 14 उद्योगों को 560.79 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटित है, जिसमें शासन को प्रतिवर्ष रु. 588.83 करोड़ की राजस्व प्राप्ति होगी। उद्योगों से 21090 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। इन योजनाओं से कृषकों को भी स्वयं के साधन से 2804 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।


स. क्र.	बैराज का नाम	जिला	निर्माण लागत (करोड़ में)	लाभान्वित उद्योगों की संख्या	औद्योगिक संस्थानों को आबंटित जल की मात्रा (मि.घ.मी.)	जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	कृषकों द्वारा स्वयं के व्यय से सिंचाई (हेक्टेयर में)
1	समोदा	रायपुर	76.50	01	25.00	29.94	-
2	शिवरीनारायण	जांजगीर-चांपा	122.61	02	125.00	37.00	690
3	बसंतपुर	जांजगीर-चांपा	233.60	01	27.00	50.62	640
4	मिरौनी	जांजगीर-चांपा	348.37	01	35.00	52.65	830
5	साराडीह	जांजगीर-चांपा	399.02	04	244.83	54.24	333
6	कलमा	जांजगीर-चांपा	182.03	05	123.96	50.64	311
योग			1362.13	14	560.79	275.09	2804



शिवरीनारायण बैराज



राजीव समोदा व्यपवर्तन योजना



कलमा बैराज

भाग – 4

विभागीय सिंचाई सांख्यिकी

सृजित सिंचाई एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर पर कार्य योजना :—

सिंचाई के मुख्य साधन जलाशय, व्यपर्वर्तन, एनीकट/स्टापडेम, बैराज एवं नलकूप इत्यादि हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित थीं तथा 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ था।

वर्तमान में दिसंबर 2023 की स्थिति में 08 वृहद, 38 मध्यम एवं 2472 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 827 एनीकट/स्टापडेम निर्मित हैं, इनके साथ ही 04 वृहद, एवं 366 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 256 एनीकट/स्टापडेम/बैराज निर्माणाधीन हैं।

योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं निर्मित तथा वास्तविक सिंचाई के अंतर को कम करने हेतु विभाग ने विशेष ध्यान देकर कार्ययोजना बनाई तथा पुरानी जीर्ण योजनाओं के उन्नयन एवं जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के प्रयास किये हैं। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2022–23 तक सृजित सिंचाई क्षमता 21.51 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध गत वर्ष 1301235 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक खरीफ सिंचाई तथा 19391 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई, इस प्रकार कुल 1320626 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इस वर्ष 2023–24 में दिसम्बर 2023 तक सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 1328417 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक खरीफ सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।

इन योजनाओं से दिसम्बर 2023 तक कुल सृजित सिंचाई क्षमता 21.57 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात 8.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। सिंचाई संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं विभाग के रूपांकित एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर को कम करने के प्रयासों के फलस्वरूप ऐसा हो सका है।

इसके अतिरिक्त राज्य में निजी स्रोतों (कुआं, तालाब, ट्यूबवेल आदि) से भी काफी बड़े रकबे में सिंचाई उपलब्ध होती है, जिसके आकड़े विभाग में उपलब्ध नहीं थे। जल संसाधन विभाग ने सम्पूर्ण प्रदेश में निजी स्रोतों से की जा रही सिंचाई के आकड़े भी संकलित किये हैं। लगभग 9,40,240 हेक्टेयर रकबे में निजी स्रोत से सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। इस तरह शासकीय तथा निजी स्रोतों से की गयी कुल वास्तविक सिंचाई 2268712 हेक्टेयर हो गयी है।

इस प्रकार प्रदेश में बोया गया रकबा के विरुद्ध शासकीय स्रोतों से सृजित सिंचाई का प्रतिशत 37.83% एवं समस्त स्रोतों (शासकीय एवं निजी) से की गयी कुल वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत 39.78% हो गया है।

जिलेवार सिंचाई


संक्र.	जिले का नाम	कुल बोया गया क्षेत्र वर्ष 2022–23 के अनुसार	सृजित सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई का प्रतिशत	वास्तविक सिंचाई क्षेत्र (विगत पांच वर्षों का औसत)	वर्ष 2023–24 में कुल शासकीय झोत से वास्तविक सिंचाई			वर्ष 2023–24 में कुल वास्तविक सिंचाई (निजी + शासकीय)			बोया गया क्षेत्र के विरुद्ध कुल वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत
						खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	धमतरी	206776	120286	58.17	95977	88497	0	88497	118569	13627	132196	63.93
2	रायपुर	192922	153146	79.38	109887	107726	0	107726	130455	11939	142394	73.81
3	बालोद	237712	116879	49.16	95079	95074	0	95074	123423	22392	145815	61.34
4	मुंगेली	220355	79574	36.11	61447	62771	0	62771	83713	16960	100673	45.69
5	दुर्ग	208084	91973	44.19	65659	67925	0	67925	105501	32070	137571	66.11
6	बलौदाबाजार— भाटापारा	260517	142849	68.88	105015	106843	0	106843	223454	14024	237478	91.16
7	सारंगढ़—बिलाईगढ़		36607		28886	31060	0	31060				
8	रायगढ़	279680	72501	25.92	35599	37550	0	37550				
9	महासमुन्द	304401	70439	23.14	41902	43471	0	43471	91073	33621	124694	40.96
10	बिलासपुर	198648	141764	71.36	101903	105648	04	105652	134777	18114	152891	76.97
11	गौरेला—पेण्ड्रा— मरवाही	68004	25702	37.79	11486	13372	0	13372	16622	666	17288	25.42
12	जांजगीर—चांपा	291153	232709	140.95	145668	136047	0	136047	237539	6259	243798	83.74
13	सकती		177679		101068	95444	0	95444				
14	कबीरधाम (कवधी)	304931	64391	21.11	36570	39437	0	39437	104227	51360	155587	51.02
15	गरियाबंद	158526	87718	55.33	43814	42119	0	42119	61662	13164	74826	47.20
16	बेमेतरा	400638	65105	16.25	70388	33595	0	33595	125462	81811	207273	51.74
17	कोरबा	123434	29763	24.11	15960	16177	0	16177	18925	0	18925	15.33

	जिले का नाम	कुल बोया गया क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई का प्रतिशत	वास्तविक सिंचाई क्षेत्र (विगत पांच वर्षों का औसत)	वर्ष 2023–24 में कुल शासकीय स्रोत से वास्तविक सिंचाई				वर्ष 2023–24 में कुल वास्तविक सिंचाई (निजी + शासकीय)				बोया गया क्षेत्र के विरुद्ध वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत
						खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
18	राजनांदगांव		72258		45901	51889	0	51889						
19	मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	555485	16558	24.13	9102	8999	0	8999	157924	46612	204536	36.82		
20	खेरागढ़—छुईखदान—गंडई		45253		31746	36001	51	36052						
21	कांकेर	203631	47338	23.25	22026	19083	0	19083	49154	0	49154	24.14		
22	बीजापुर	80914	5718	7.07	867	782	0	782	894	0	894	1.10		
23	सरगुजा	173523	69390	39.99	27299	27296	0	27296	29059	328	29387	16.94		
24	जशपुर	253807	35888	14.14	13878	12193	0	12193	14208	55	14263	5.62		
25	बलरामपुर—रामानुजगंज	177633	30380	17.10	12665	16635	0	16635	19399	135	19534	10.99		
26	कोरिया		19383		8158	5194	0	5194						
27	मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर	105200	13389	31.15	3877	3057	0	3057	10684	687	11371	10.81		
28	सूरजपुर	166602	17027	10.22	7001	6826	0	6826	17682	1918	19600	11.76		
29	बस्तर	170698	33703	19.74	14424	14198	0	14198	18620	5	18625	10.91		
30	कोडागांव	149704	15522	10.37	1715	1438	0	1438	7174	0	7174	4.79		
31	दंतेवाड़ा	88778	8778	9.89	1428	1161	0	1161	1369	0	1369	1.54		
32	नारायणपुर	25115	4463	17.77	437	519	0	519	679	0	679	2.70		
33	सुकमा	96974	13793	14.22	167	390	0	390	607	110	717	0.74		
योग		5703845	2157926	37.83	1327033	1328417	55	1328472	1902855	365857	2268712	39.78		


शासकीय स्रोतों से सिंचाई का प्रतिशत :- (सृजित सिंचाई क्षमता / कुल बोया गया रक्तबा) X 100 = (2157926/5703845) X 100 = 37.83%

समस्त स्रोतों से सिंचाई का प्रतिशत :- (कुल वास्तविक सिंचाई / कुल बोया गया रक्तबा) X 100 = (2268712/5703845) X 100 = 39.78%

विभाग के कार्यकलापों के प्रमुख मापक (Indices)




कुल निर्मित सिंचाई क्षमता (लाख हे. में)




राज्य गठन के पश्चात निर्मित सिंचाई क्षमता में उत्तरोत्तर वर्षवार वृद्धि हुई है। वर्षवार सिंचाई क्षमता में हुई वृद्धि निम्नानुसार है :—

अवधि	वर्षवार निर्मित सिंचाई क्षमता (हे. में)	कुल निर्मित सिंचाई क्षमता (लाख हे. में)
01 नवंबर 2000	-	13.28
नवंबर 2000 से मार्च 2001	12000	13.40
अप्रैल 2001 से मार्च 2002	71000	14.11
अप्रैल 2002 से मार्च 2003	42000	14.53
अप्रैल 2003 से मार्च 2004	98000	15.51
अप्रैल 2004 से मार्च 2005	75000	16.26
अप्रैल 2005 से मार्च 2006	55000	16.81
अप्रैल 2006 से मार्च 2007	41000	17.22
अप्रैल 2007 से मार्च 2008	36000	17.58
अप्रैल 2008 से मार्च 2009	13700	17.71
अप्रैल 2009 से मार्च 2010	17400	17.89
अप्रैल 2010 से मार्च 2011	20000	18.09
अप्रैल 2011 से मार्च 2012	35000	18.44
अप्रैल 2012 से मार्च 2013	34000	18.78
अप्रैल 2013 से मार्च 2014	26000	19.04
अप्रैल 2014 से मार्च 2015	25000	19.29
अप्रैल 2015 से मार्च 2016	22000	19.51
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	101000	20.52
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	26000	20.88
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	11000	20.99
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	22000	21.21
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	13000	21.34
अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक	10000	21.44
अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक	7000	21.51
अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक	6000	21.57

सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध वास्तविक सिंचाई (खरीफ एवं रबी)



सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध वास्तविक सिंचाई (खरीफ)



- ग्रीष्मकाल में सिंचाई योजनाओं से प्रदेश के 2740 ग्रामों के 4941 तालाबों को भरा गया है। जिनसे ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में जन सामान्य तथा पशुधन की निस्तारी तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है।



केलो जलाशय, जिला – रायगढ़



मांडर शाखा नहर

भाग – 5

विभागीय बजट एवं राजस्व

5.1 वर्ष 2023–24 हेतु बजट प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2023–24 की विभागीय बजट में रु. 3607.42 करोड़ की राशि का प्रावधान है।

(राशि रूपये करोड़ में)

स.क्र.	विवरण	बजट प्रावधान वर्ष 2023–24	बजट प्रावधान वर्ष 2024–25 विभाग द्वारा प्रस्तावित
जल संसाधन विभाग			
I	राजस्व अनुभाग	735.07	1125.58
II	पूंजी अनुभाग	2872.35	3198.19
	योग	3607.42	4323.77

5.2 आदिवासी उपयोजना

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत ऐसी सिंचाई योजनाएं शामिल की जाती हैं, जिसमें कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति परिवारों एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों का कम से कम 50% क्षेत्र को लाभ प्राप्त हो सके।

वर्ष 2023–24 में पूंजी अनुभाग अंतर्गत विभागीय बजट प्रावधान राशि रु. 2872.35 करोड़ में से आदिवासी उपयोजना मद में राशि रु. 759.18 करोड़ का बजट प्रावधान है, जो कि कुल पूंजी अन्तर्गत विभागीय बजट का 26.43% है। इस उपयोजना में दिसंबर 2022 तक कुल रु. 165.98 करोड़ व्यय हुआ है।

5.3 अनुसूचित जाति उपयोजना


अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत, ऐसी योजनाएं शामिल की जाती है जिसमें 50% से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों एवं अनुसूचित जाति के कृषकों का कम से कम 50% क्षेत्र को लाभ प्राप्त हो सके।

वर्ष 2023–24 में कुल पूंजी अनुभाग अंतर्गत विभागीय बजट प्रावधान राशि रु. 2872.35 करोड़ में से अनुसूचित जाति उपयोजना मद के अंतर्गत राशि रु. 194.70 करोड़ का बजट प्रावधान है, जो कि कुल पूंजी अनुभाग अंतर्गत विभागीय बजट का 6.78% है। इस उपयोजना में दिसंबर 2023 तक कुल रु. 51.14 करोड़ व्यय हुआ है।

5.4 वर्षवार आबंटन एवं व्यय की राशि – विगत 10 वर्षों में विभाग को आबंटित बजट एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

विभाग के कार्यकलापों के प्रमुख मापक

दिसंबर 2024 तक



5.5 सिंचाई राजस्व – लक्ष्य एवं उपलब्धियां

विभाग सिंचाई योजनाओं से कृषि प्रयोजन, नगरीय निकायों को पेयजल, निस्तारी, औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं को जल उपलब्ध कराता है।

5.5.1 कृषि प्रयोजन –

15 जून, 1999 से संपूर्ण राज्य में विद्यमान एवं प्रस्तावित सभी तालाबों, नहरों इत्यादि से कृषि हेतु जल प्रदाय के लिये निम्नलिखित तालिका के स्तंभ में वर्णित सभी फसलों के लिए उनके सम्मुख स्तंभ तीन के अनुसार जल दर लागू है :–

**छत्तीसगढ़ में सिंचाई योजनाओं से कृषि जल प्रदाय की जल दर तालिका
(प्रवाह एवं उद्वहन सिंचाई)**

सं. क्र.	फसलों के नाम	जल दर रूपये प्रति एकड़ में
1.	धान—खरीफ	81
	धान—रबी	200
2.	गेहूं (1) पलेवा सहित अधिकतम तीन पानी	81
	(2) प्रत्येक अतिरिक्त पानी	25
3.	केला, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना	300
4.	हरी धांस वाली फसलें, मूँगफली (खरीफ), ज्वार, मूँग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल्ली, अरहर (खरीफ), उड्ढ	50
5.	धनिया, चना, मूँगफली (रबी), मूँग (रबी), सरसों, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन (रबी), अरहर (रबी)	100

	हायब्रीड (विपुल)	150
7.	जौ, बैंगन, गाजर, गोभी, मिर्च, ककड़ी, घुंडया, मेथी, अदरक, लहसुन, ख्वारफली, भिंडी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तंबाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियाँ	200
8.	वर्सिम घास (फाडर क्राप)	150
9.	जमीन की तैयार करने के लिये पानी (पलेवा)	40

टीप :- सिंचाई अधिनियम 1931 की जलदर अनुसूची की धारा 100 के अंतर्गत घ (1) के तहत रु. 10.00 प्रति एकड़ की दर से उपकर लिये जाने का प्रावधान है।

5.5.2 पेयजल एवं निस्तारी

नगरीय निकायों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को घरेलु उपयोग के लिए विभाग द्वारा निर्मित जल स्रोतों से जल प्रदाय की दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर (प्रति घन मीटर) निर्धारित की गई है। यह दर दिनांक 01.04.2000 से प्रभावशील है। इसमें प्रति वर्ष 2 पैसे की वृद्धि होती है। इस प्रकार वर्तमान में (दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक) रु. 0.66/घनमीटर की पेयजल दर प्रचलित है। प्रदेश में 80 नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्रामीण समूहों को पेयजल हेतु विभिन्न संरचनाओं से 401.76 मिलियन घन मीटर वार्षिक जल आबंटित है। जिससे वर्तमान में प्रचलित पेयजल-दर (रु. 0.66/घनमीटर) अनुसार कुल रु. 26.52 करोड़ के वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी।



नारंगी नदी में निर्मित खड़कघाट एनीकट योजना, जिला—कोण्डागांव का गूगल ईमेज दिनांक 29.04.2022, ग्रीष्मऋतु में जहां एनीकट के D/S में नदी सूखी है, वहीं U/S में एनीकट के कारण नदी में जल भराव होना, एनीकट निर्माण की सार्थकता सिद्ध कर रहा है।

5.5.3 औद्योगिक प्रयोजन

राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3483/7-ए/जसं./तशा/डी-4/औजप्र/01, दिनांक 21.10.2020 द्वारा निम्नलिखित जल दर प्रभावशील है :—

स.क्र.	उपयोग का प्रकार	विशेष विवरण		जल-दर	टीप	
1	2	3		4	5	
1	औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन	अ	शासकीय स्त्रोत से :—			
		1	बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से			
		(i)	शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से	रु. 10.50 प्रति घ.मी.	—	
		(ii)	संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से	रु. 10.50 प्रति घ.मी.	—	
		2	नहर प्रणाली से	रु. 12.25 प्रति घ.मी.	—	
		ब	नैसर्गिक स्त्रोत से :—			
		(i)	नदी/नाले आदि के बहाव से	रु. 5.00 प्रति घ.मी.	—	
		(ii)	भू-जल से	रु. 10.00 प्रति घ.मी.	इस जल-दर पर प्राप्त जल-कर की शत प्रतिशत राशि, पृथक से निर्मित "भू-जल संरक्षण कोष" में जमा की जाए। इस कोष की राशि का उपयोग भू-जल संवर्धन (Recharging) आदि में किया जायेगा।	
		स	स्वनिर्मित स्त्रोत से	रु. 3.50 प्रति घ.मी.	—	
		अ	शासकीय स्त्रोत :—			
2	ऐसे उद्योग (जैसे—कोल्ड स्ट्रिंग्स, मिनरल वॉटर, शराब आदि) जो जल का उपयोग करते हैं माल व डंजमतपंसद्व के रूप में करते हैं	1	बांध/जलाशय/बैरॉज/एनीकट आदि से	रु. 200.00 प्रति घ.मी.	इन जल-दरों पर प्राप्त जल-कर की शत प्रतिशत राशि, पृथक से निर्मित "भू-जल संरक्षण कोष" में जमा की जाए। इस कोष की राशि का उपयोग भू-जल संवर्धन (Recharging) आदि में किया जायेगा।	
		(i)	शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से			
		(ii)	संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से	रु. 200.00 प्रति घ.मी.		
		2	नहर प्रणाली से	रु. 200.00 प्रति घ.मी.		
		ब	नैसर्गिक स्त्रोत से :—			
		(i)	नदी/नाले आदि के बहाव से	रु. 100.00 प्रति घ.मी.		
		(ii)	भू-जल से	रु. 250.00 प्रति घ.मी.		
		स	स्वनिर्मित स्त्रोत से	रु. 80.00 प्रति घ.मी.		
		अ	शासकीय स्त्रोत :—			
3	जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग	1	बांध/जलाशय/बैरॉज/	रु. 1.07 (एक रु. सात	—	

	पश्चात पुनः प्राप्ति)	एनीकट आदि से	पैसे) / विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे / 100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जस	
(क)	25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना	2 नहर प्रणाली से	रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे) / विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे / 100 वि.ई.उत्पादन पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जस	-
		ब नैसर्गिक / स्वनिर्मित स्त्रोत से	रु. 0.35 (पैतीस पैसे) / वि.ई.उ. पर	-
(ख)	25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें	शासकीय / नैसर्गिक / स्वनिर्मित आदि विभिन्न स्त्रोत से	रु. 0.06 (छ: पैसे)	-

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 21.10.2020) से प्रभावशील रहेंगी।
3. जल दरों का पुनर्निर्धारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
4. औद्योगिक जल-दर निर्धारण संबंधी पूर्व की अधिसूचना, दिनांक 24.02.2016 की तालिका के स.क्र.-1, अ-1 (प्प) "विशेष विवरण" अंतर्गत उल्लेखित "संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से" की श्रेणी को विलोपित किया गया है। परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से ही जिन संस्थानों को जल आबंटित है, या जो जल उपयोग कर रहे हैं हेतु, शासन की अधिसूचना, दिनांक 24.02.2016 अनुसार इस श्रेणी हेतु निर्धारित जल-दर रु. 5.50/घ.मी. ही लागू रहेगी एवं इसका लाभ उन्हीं संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा। संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल-कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल-कर की राशि में समायोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित प्रकरण में, इस अधिसूचना की तालिका के स.क्र.-1, कॉलम क्रमांक-3 के बिन्दु क्र.-1 (प) "शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना" अंतर्गत कॉलम क्रमांक-4 में प्रस्तावित जल-दर रु. 10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत्समय में प्रचलित जलदर लागू होंगी।

5.5.4 उपलब्ध जल का समुचित उपयोग

विभाग द्वारा सिंचाई एवं पेयजल के अतिरिक्त निस्तारी तालाबों में भी नहरों द्वारा प्रतिवर्ष जल प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2023 में भी 2740 ग्रामों के 4941 तालाबों को निस्तार हेतु जल प्रदाय किया गया। विकासशील नया रायपुर शहरी क्षेत्र में वर्ष 2040 तक पेयजल की सुविधा के दृष्टिगत ग्राम टीला तथा ग्राम रावर के समीप महानदी पर दो एनीकट का निर्माण किया गया है।

विभाग की निर्मित मिनीमाता (हसदेव) बांगो जलाशय परियोजना (कोरबा), रविशंकर सागर जलाशय परियोजना (धमतरी) एवं सिकासार जलाशय परियोजना (गरियाबंद) में क्रमशः 120, 10 एवं 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हो रहा है, जिससे लाखों टन कोयले की बचत हो रही हैं। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में एन.टी.पी.सी. एवं राज्य विद्युत मण्डल के ताप विद्युत गृहों, निजी ताप विद्युत संयंत्रों, बड़े उद्योगों तथा बाल्को इत्यादि 176 संयंत्रों को 2244.889 मि.घ.मी. जल आबंटित है।

इन संयंत्रों से 61715.65 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा, जिससे शासन को राशि रु. 2357.13 करोड़ वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी।



हसदेव बैराज दर्री (मिनीमाता बांगो परियोजना) के दांयी तट मुख्य नहर एवं बांयी तट मुख्य नहर से नगर निगम कोरबा, छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल एवं एन.टी.पी.सी. कोरबा, सहित अन्य स्थानों को जल प्रदाय कर परियोजना से शासन को प्रतिवर्ष लगभग रु. 375 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है।

5.5.5 वर्ष 2003-04 से दिसंबर 2023 तक सिंचाई, उद्योग, पेयजल आदि से राजस्व वसूली के आंकड़े

राशि रु. लाख में

स. क्र.	वर्ष	राजस्व वसूली के आंकड़े
1	2	3
1	2003-04	48.96
2	2004-05	55.44
3	2005-06	43.48
4	2006-07	110.81
5	2007-08	116.20
6	2008-09	133.09
7	2009-10	475.92
8	2010-11	651.46

9	2011-12	541.08
10	2012-13	590.19
11	2013-14	816.50
12	2014-15	618.20
13	2015-16	648.82
14	2016-17	616.36
15	2017-18	654.65
16	2018-19	667.69
17	2019-20	611.02
18	2020-21	711.43
19	2021-22	647.06
20	2022-23	739.99
21	2023-24 (दिसम्बर 2024 तक)	595.08

भाग – 6

अभिनव कार्य योजना

6.1 सिंचित क्षेत्र और सुजित सिंचाई में अंतर

छत्तीसगढ़ का कुल बोया गया क्षेत्र 57.03 लाख हेक्टेयर तथा निरा बोया क्षेत्र 46.30 लाख हेक्टेयर है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में सिंचाई क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2035 तक उपलब्ध सतही जल से 32 लाख हेक्टेयर रक्बे में सिंचाई क्षमता प्राप्त कर 100 प्रतिशत सिंचाई क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सृजित सिंचाई एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर (लगभग 8.0 लाख हेक्टेयर) को कम करने हेतु वृद्धि पैमाने पर पुरानी योजनाओं के जीर्णोद्धार, सिंचाई में नई तकनीक ड्रिप, सोलर, पाइप एरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगामी वर्षों में 1.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रति वर्ष नई सिंचाई क्षमता विकसित कर तथा खुली नहरों के स्थान पर भूमिगत पाइप लाईन से सिंचाई कर दक्षता में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

वर्ष 2023–24 में सिंचाई क्षमता में वृद्धि की कार्य योजना

1	नवीन योजनाओं से	—	5000 हेक्टेयर
2	निर्माणाधीन योजनाओं से	—	20000 हेक्टेयर
3	निर्मित योजनाओं में सृजित क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर को कम करने का प्रस्ताव	—	48000 हेक्टेयर
4	निर्मित योजनाओं में मनरेगा एवं विभागीय मद अभिशरण से काढ़ा नाली निर्माण से सिंचाई क्षमता में वृद्धि	—	16000 हेक्टेयर
5	मनरेगा आदि मद से निर्मित योजनाओं में सिंचाई क्षमता में वृद्धि	—	11000 हेक्टेयर
कुल :-		—	100000 हेक्टेयर

वर्ष 2023–24 में अब तक सिंचाई संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं जीर्ण योजनाओं के जीर्णोद्धार द्वारा 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक कुल 204 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है, जिनसे 96524.25 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार/प्रतिस्थापन प्रस्तावित है।

वर्ष 2023–24 में नवीन योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति

(दिनांक 28.12.2022 की स्थिति में)

स. क्र.	विभाग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की संख्या एवं राशि		प्रस्तावित सिंचाई (हे. में)
		संख्या	राशि (लाख रु. में)	
1	जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़	204	84584.99	96524.25

6.2 काडा नाली का निर्माण (मनरेगा एवं विभागीय मद के अभिसरण से)

- निर्मित योजनाओं से वास्तविक सिंचाई में हो रही कमी को दूर करने हेतु मनरेगा एवं विभागीय मद के अभिसरण से काडा नाली निर्माण से सिंचाई क्षमता में वृद्धि की भी कार्य योजना है।
- यह कार्य काडा नाली निर्माण (CAD Work) एवं मनरेगा मद से कराया जाएगा। प्रदेश के सभी 33 जिलों में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने हेतु लगभग 32000 हेक्टेयर क्षेत्र में काडा नाली निर्माण का लक्ष्य है। इसी तरह आने वाले वर्षों में लगभग 2,00,000 हेक्टेयर में क्षमता वृद्धि (Restore) करने का लक्ष्य है।
- इसके अतिरिक्त सिंचाई जलाशयों से प्रतिवर्ष निस्तारी हेतु तालाबों को भरे जाने हेतु स्थायी विकल्प के तहत काडा नालियों का निर्माण करने का लक्ष्य है।
- जल संरक्षण एवं संवर्धन के दृष्टिगत नहर से निस्तारी तालाबों तक काडा नाली निर्माण किया जाना है। जहाँ काडा नाली पूर्व से निर्मित है, वहाँ काडा नाली से निस्तारी तालाबों को जोड़ा जावेगा, ताकि जल का अपव्यय रोककर उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके।



आगामी वर्षों में काडा नालियों के निर्माण कर निस्तारी तालाबों को जोड़ने का कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 500 मि.घ.मी. प्रतिवर्ष जल की बचत होगी। इस बचत जल का उपयोग अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में होगा।

6.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चयनित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य की 03 योजनाएं समिलित की गई हैं।

6.3.1 केलो वृहद सिंचाई परियोजना

वर्ष 2008–09 में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत शामिल इस योजना की लागत रूपये 598.91 करोड़ एवं 22810 हेक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है। योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु रु. 972.22 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया गया है। केन्द्रीय सहायता के रूप में अब तक रूपये 81.212 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। योजना पर 12/2023 तक कुल रूपये 698.00 करोड़ रूपये ए.आई.बी.पी के अंतर्गत व्यय कर 17475 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की गई। योजना का शीर्ष कार्य 99 प्रतिशत एवं नहर कार्य 82.50 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, कार्य प्रगति पर है। योजना को जून 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस वर्ष इस योजना से 8518 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत की लागत रूपये 81.41 करोड़ रु0 का 22810 हेक्टेयर क्षेत्र में CAD&WM कार्य शामिल है। CAD&WM कार्य के तीन ग्रुप में एजेन्सी निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है एवं तीन ग्रुप में निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्य का 05% कार्य भौतिक रूप से पूर्ण कर 12/2023 तक रु0 1.39 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

6.3.2 खारंग वृहद सिंचाई परियोजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 8300 हेक्टेयर क्षेत्र में CAD&WM कार्य प्रस्तावित है। जिसकी लागत रूपये 33.18 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 33.06 करोड़ की प्रदान की जा चुकी है। कार्य के तीनों ग्रुप में एजेन्सी निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। कार्य का 48% भौतिक रूप से पूर्ण कर 12/2023 तक रु0 9.91 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

6.3.3 मनियारी वृहद सिंचाई परियोजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 11515 हेक्टेयर क्षेत्र में CAD&WM कार्य की लागत रूपये 45.93 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित है। कार्य को चार ग्रुप में बांटकर एजेन्सी निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा दिसम्बर 2023 तक कार्य का 46% भौतिक रूप से पूर्ण कर 14.50 करोड़ रु0 व्यय किया जा चुका है।

6.4 नाबार्ड पोषित योजनाएं

प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राज्यमद के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा नाबार्ड से वर्ष 1995–96 से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। नाबार्ड अंतर्गत 21वें चरण तक के स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 22वें चरण से 29वें चरण तक कुल 150 योजनाओं/कार्य स्वीकृत की गई है, जिनमें से 63 योजनाओं/कार्यों को पूर्ण कर 86080.09 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। नाबार्ड अंतर्गत 22वें चरण से 29वें चरण की चरणवार जानकारी निम्नानुसार है :—

स.क्र.	चरण	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि			रूपांकित सिंचाई क्षमता (हे.)	सृजित सिंचाई क्षमता (हे.)	पूर्ण योजनाएं
			नाबार्ड अंश (रु.लाख)	राज्यांश (रु.लाख)	योग (रु.लाख)			
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	22	19	18362.87	973.76	19336.63	237782.70	70803.00	18
2	23	17	17439.89	1209.15	18649.04	26317.64	2365.00	06
3	24	28	31712.03	2225.28	33937.31	35585.93	8439.00	13
4	25	32	21407.88	1102.02	22509.90	41144.38	1713.00	13
5	26	21	11923.97	627.54	12551.51	16972.19	2160.00	06
6	27	07	6336.03	333.48	6669.51	16314.81	600.00	02
7	28	16	9219.07	485.22	9704.29	22636.32	491.00	05
8	29	10	10164.93	534.98	10699.91	21410.19	0	0
योग		150	126566.7	7491.43	134058.10	418164.20	86080.09	63

6.6 मिशन अमृत योजना

भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लागू मिशन अमृत (अटल शहरी नवीकरण एवं परिवर्तन मिशन) अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्य सचिव के अध्यक्षता में राज्य जल संसाधन उपयोग समिति छत्तीसगढ़ में लिए गये निर्णय अनुसार 6 नगर पालिक निगमों को विभाग की सिंचाई योजनाओं से पेयजल आबंटन/प्रदाय की स्वीकृति प्रदान की गई, जो निम्नानुसार है :—

स.क्र.	नगर पालिका निगम	सिंचाई जलाशय/स्त्रोत	आबंटित जल की मात्रा (मि.घ.मी. वार्षिक)
1	राजनांदगांव	खरखरा जलाशय परियोजना	23.00
2	जगदलपुर	इन्द्रावती नदी में निर्मित कुम्हरावण्ड एनीकट	17.42
3	अंबिकापुर	घुनघुट्टा जलाशय परियोजना	6.57
4	बिलासपुर	खारंग जलाशय परियोजना	31.00
5	रायगढ़	केलो वृहद सिंचाई परियोजना	18.00
6	कोरबा	मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना	23.03

पेयजल एवं औद्योगिक जल आबंटन /प्रदाय की जानकारी

स.क्र.	विवरण	योजनाओं की संख्या	आबंटित जल की मात्रा (मि.घ.मी./वार्षिक)
1	सामान्य पेयजल प्रदाय योजनाएं	63	256.51
2	मिशन अमृत अंतर्गत पेयजल प्रदाय योजनाएं	06	119.02
3	जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण समूह पेयजल प्रदाय योजनाएं	18	42.89
	योग :-	87	418.42
4	औद्योगिक इकाईयों को जल आबंटन	176	2207.61

टीप :- उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में जल जीवन मिशन एवं अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत कुल 86 पेयजल प्रदाय योजनाओं हेतु कुल 165.92 मि.घ.मी./वर्ष जल आबंटन का निर्णय राज्य जल संसाधन उपयोग समिति द्वारा लिया गया है, जिनके जल आबंटन स्वीकृति पत्र नियमानुसार जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य की वर्तमान एवं भविष्यत् पेयजल आवश्यकताएँ :-

वर्ष 2020 की स्थिति में		वर्ष 2040 की स्थिति में		वर्ष 2051 की स्थिति में	
जनसंख्या (करोड़ में)	जल आवश्यकता (मि.घ.मी.) वार्षिक	जनसंख्या (करोड़ में)	जल आवश्यकता (मि.घ.मी.) वार्षिक	जनसंख्या (करोड़ में)	जल आवश्यकता (मि.घ.मी.) वार्षिक
2.94	677.206	4.63	1508.587	5.29	2093.786

छत्तीसगढ़ राज्य की जल—नीति के अनुसार पेयजल एवं निस्तार हेतु राज्य के निवासियों को जल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिये जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित जल संग्रहण योजनाओं में लगभग 20 प्रतिशत जल आरक्षित रखा गया है। अतः सभी नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजनाओं को निकटतम जल स्त्रोतों से जल आबंटन किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। शासन की मिशन अमृत योजना अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय कर पेयजल हेतु प्राथमिकता के आधार पर जल आबंटन किया जा रहा है।

6.7 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना – तृतीय चरण (2016–2024)


योजना का उद्देश्य जल संबंधी आंकड़ों की जानकारी सुदृढ़ करना है, जिससे कि जल नीति निर्धारक एवं जल स्रोत संरक्षण करने वाले विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में की जा सके। योजना का मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन की योजनाओं और उसका संचालन करने के लिये देश व्यापी डाटाबेस तैयार करना एवं ज्ञानसंवर्धन तथा आधुनिकीकरण करना है। इसके अंतर्गत रियल टाईम डाटा के आधार पर जल प्रबंधन एवं बाढ़ नियंत्रण का कार्य विभिन्न वैज्ञानिक मॉड्यूल के आधार पर किया जाना है। परियोजना का द्वितीय चरण मई–2014 में पूर्ण कर लिया गया था।

परियोजना के तृतीय चरण हेतु भारत सरकार, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली एवं छ.ग. शासन के मध्य को अनुबंध हुआ है। योजना की पुनरीक्षित लागत रु. 34.45 करोड़ है। भारत सरकार द्वारा योजना हेतु शत प्रतिशत राशि प्रदान की जावेगी। योजना अंतर्गत दिसंबर तक रु. 17.12 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। योजनागत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

Real Time Data Acquisition System (RTDAS) के अंतर्गत 129 स्थलों के वर्षामापन 28 नदियों एवं 39 जलाशयों में जल मापन तथा 6 स्थलों में मौसम के आंकड़ों के मापन हेतु स्वचालित उपकरण की स्थापना की जा रही है। Ground Water मापन कार्य हेतु 190 स्वचालित Digital Water Level Recorder (DWLR) Telemetry की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। राज्य के 24 प्रमुख बांधों का Sedimentation Survey का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।



वाटर लेवल रिकॉर्डर



स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट



तांदुला जलाशय की मुख्य नहर के आर.डी. 7500 मी. पर स्थित एक्वाडक्ट का
जीर्णोद्धार (नाबाड़ पोषित) जिला : बालोद

6.8 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा सिंचाई क्षमता के पुनरस्थापन हेतु वर्ष 2023–24 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 33 जिलों में वर्तमान में कुल 1101 कार्य स्वीकृत हुये हैं। जिनकी लागत रु. 211.79 करोड़ है, जिसके विरुद्ध कुल 304 कार्य पूर्ण किए गए एवं 663 कार्य प्रगतिरत हैं। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु जल संसाधन से संबंधित छोटी-छोटी आंशिक योजनाओं की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाता है। तकनीकी मार्गदर्शन व देखरेख जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। कार्य से संबंधित समस्त प्रतिवेदन मैदानी अमले द्वारा

सीधे संबंधित कलेक्टर को दिये जाते हैं। विकास आयुक्त, पंचायत विभाग इन कार्यों के राज्य स्तरीय प्रमुख हैं।


6.9 सूक्ष्म एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना

प्रदेश की विभिन्न नदियों/नालों पर विभाग द्वारा एनीकट एवं व्यपवर्तन योजनाएं निर्मित की गई हैं। उपलब्ध जल का समुचित उपयोग किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में उपलब्ध जल के समुचित उपयोग के लिये सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्य योजना बनाई गई है।

6.10 सूक्ष्म एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से सिंचाई एवं जल संवर्धन का कार्य

- योजनाओं से कम पानी से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई होगी तथा खाद की भी बचत होगी एवं बचत जल से असिंचित क्षेत्र में भी सिंचाई की जा सकेगी।
- लाभान्वित फसल – खरीफ, रबी
- कुल स्वीकृत योजनाएं – 35 (14 योजना का कार्य प्रगति पर है)
कुल प्रस्तावित सिंचाई – 10957 हेक्टेयर
- कुल प्रस्तावित योजनाएं – 157
- सूक्ष्म एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में कृषकों का संगठन बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ और फसल की संगठित खेती और मूल्य उन्हें प्राप्त हो सके।

कमाण्ड क्षेत्र में हार्टिकल्चर विभाग से बाढ़ी योजना अंतर्गत अभिसारण होकर बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। हार्टिकल्चर विभाग से इस बिन्दु पर समन्वय की अपेक्षा रहेगी।



सौर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति



धामनसरा—मोहड़ एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना जिला—राजनांदगांव : सौर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति संयत्र

6.11 नदियों का संरक्षण एवं संवर्धन

विश्व में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप हो रहे विपरीत प्रभाव के दृष्टिगत नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शासन प्रयासरत है। प्रदेश की 05 प्रमुख नदियों शिवनाथ, हसदेव, महानदी, केलो तथा खारून में कुछ प्रदूषित हिस्सों की पहचान की गयी है जिसके लिये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य योजना बनाकर वन, उद्योग तथा नगरीय निकाय विभागो से समन्वय कर कार्य किया जा रहा है। अरपा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिलासपुर जिले में पचरीघाट बैराज परियोजना एवं शिवघाट बैराज परियोजना का कार्य क्रमशः 70 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है।



अरपा नदी पर निर्माणाधीन पचरीघाट बैराज



अरपा नदी पर निर्माणाधीन शिवघाट बैराज

6.12 भूमिगत पार्झप लाईन द्वारा सिंचाई

प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन एवं एनीकट हैं। वर्तमान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जा रही है। वर्ष 2013 से लागू नये भू-अर्जन अधिनियम में मुआवजा दर में वृद्धि के कारण नहर निर्माण की लागत अधिक आ रही है। इसके दृष्टिगत भूमिगत पार्झप लाईन के माध्यम से सिंचाई किये जाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना से बहुत कम भू-अर्जन की आवश्यकता होगी एवं योजना की लागत में कमी के साथ रखरखाव एवं मरम्मत की लागत में भी कमी आयेगी। इस विषय पर अरपा भैंसाझार परियोजना का अध्ययन किया गया, जिसमें भू-अर्जन सहित नहर निर्माण की लागत पार्झप लाईन की लागत से अधिक आई है।



सल्का व्यपवर्तन योजनानंतर्गत भूमिगत पार्झप लाईन

6.13 इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण –

बस्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली इन्द्रावती नदी के संरक्षण के लिए इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन दिनांक 27.08.2021 को शासन द्वारा किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी है और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को शासन द्वारा नामांकित किया जाता है। इसके सदस्य सह सचिव प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को बनाया गया है। प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में सात जिले यथा दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, कोणडागांव, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव जिलों के 28 विकासखण्ड शामिल हैं। यह प्राधिकरण निम्न उद्देश्यों के लिए काम करेगा :–

1. इन्द्रावती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के विकास का उपाय करना, जिससे इन्द्रावती नदी में बारह माह पानी रहें, इसमें नरवा कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न आवश्यक संरचनाओं के निर्माण हेतु उपाय करना।
2. इन्द्रावती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्मित समस्त सिंचाई परियोजनाओं का पूरी क्षमता से सिंचाई हेतु संधारण के उपाय सुझाना।
3. इन्द्रावती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माणाधीन समस्त योजनाओं को द्रुत गति से पूर्ण करने के उपाय करना।
4. इन्द्रावती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं का मास्टर प्लान को गति से लागू करने हेतु उपाय करना।
5. इन्द्रावती नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए आवश्यक उपाय करना।
6. इन्द्रावती नदी एवं इसकी सहायक नदियों एवं नालों का उपचार करना तथा उनके किनारे सघन वृक्षारोपण करने हेतु उपाय करना।

6.14 अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण –

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली अरपा नदी के संरक्षण के लिए अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन शासन द्वारा किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी है और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को शासन द्वारा नामांकित किया जाता है। इसके सदस्य सह सचिव प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को बनाया गया है। प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर एवं कोरबा जिले में अरपा नदी के किनारे स्थित क्षेत्र एवं नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम आते हैं। यह प्राधिकरण निम्न उद्देश्यों के लिए काम करेगा :–

1. अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के विकास का उपाय करना, जिससे अरपा नदी में बारह माह पानी रहें, इसमें नरवा कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न आवश्यक संरचनाओं के निर्माण हेतु उपाय करना।
2. अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्मित समस्त सिंचाई परियोजनाओं का पूरी क्षमता से सिंचाई हेतु संधारण के उपाय सुझाना।
3. अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माणाधीन समस्त योजनाओं को द्रुत गति से पूर्ण करने के उपाय करना।
4. अरपा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं का मास्टर प्लान द्रुत गति से लागू करने हेतु उपाय करना।
5. अरपा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए आवश्यक उपाय करना।

6. अरपा नदी एवं इसकी सहायक नदियों एवं नालों का उपचार करना तथा उनके किनारे सघन वृक्षारोपण करने हेतु उपाय करना।



लीलागर नदी में निर्मित भुईगांव तट सुरक्षा कार्य, जिला , जांजगीर चांपा

6.15 छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हेलपमेंट कार्पोरेशन (CIDC) –

राज्य में सिंचाई साधनों के विकास को शासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है, जिसके लिए तेजी से विकास हेतु मिशन मोड में कार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हेलपमेंट कार्पोरेशन (CIDC) के संचालक मण्डल का पुनर्गठन किया गया है तथा इसका प्रशासकीय नियंत्रण जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग हैं तथा सदस्य माननीय मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, माननीय मंत्री वन विभाग, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं वित्त, वन, कृषि, ऊर्जा, राजस्व तथा जल संसाधन विभाग के भारसाधक सचिव हैं तथा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग कार्पोरेशन के सदस्य सचिव हैं।

छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हेलपमेंट कार्पोरेशन (CIDC) के गठन का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर उसे मूर्त रूप देना, राज्यहित के सभी पहलुओं का संरक्षण करना, राज्य में सिंचाई की तेजी से विकास हेतु मिशन मोड में कार्य करना आदि है। वर्तमान में अहिरन–गाजरीनाला (खारंग अहिरन लिंक परियोजना) जल संवर्धन योजना, छपराटोला फीडर जलाशय योजना एवं रेहर अटेम (जिंक) लिंक परियोजना का सम्पादन CIDC के माध्यम से कराया जाना है। ये योजनाएँ वर्तमान में सर्वेक्षण के स्तर पर हैं।



माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित कैबिनेट बैठक


6.15 पीएम गति—शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शासन में आदर्श बदलाव और समावेशी अवसंरचना का सृजन –

भारत सरकार द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और अवसंरचना के समग्र विकास के लिए देश में 100 लाख करोड़ रुपये के राष्ट्रीय मास्टर प्लान ‘पीएम गति—शक्ति’ का प्रारंभ किया गया है।

गति—शक्ति सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर लाकर, परियोजनाओं को अधिक गति और शक्ति देने का अभियान है। इस तरह, विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को एकसमान दृष्टि से डिजाइन और क्रियान्वित किया जाएगा।

गति—शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक केंद्रीकृत पोर्टल में भू—मानचित्रण और रीयल—टाइम डेटा का उपयोग करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेष रूप से बहु—क्षेत्रीय और बहु—क्षेत्रीय पहुंच वाली जिन प्रमुख परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है, उनके बारे में विभाग और राज्य, जानकारी हासिल कर सकें।


इसके तहत, जल संसाधन विभाग की समस्त निर्मित, निर्माणाधीन और प्रस्तावित (वर्ष 2050 तक), वृहद, मध्यम और लघु परियोजनाओं की संक्षिप्त जानकारी कमांड एरिया मैप सहित GIS लेयर में प्रमाणिकृत एवं सत्यापित कर एक उमर्दोंदेह बनाकर केंद्रीकृत पोर्टल में upload किया जाना है।



प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत GIS में परालकोट कमांड क्षेत्र का डिजीटलीकरण कार्य

6.16 राज्य जल सूचना केन्द्र (SWIC) :-

उपलब्ध जल संसाधन का प्रभावी और कुशल प्रबंधन राज्य स्तर में ऐतिहासिक और वास्तविक समय डेटा की निर्बाध उपलब्धता के माध्यम से सूचित निर्णय लेने से समर्थित है। डेटा उत्पादक एजेंसियों के अपने डोमेन विशिष्ट डेटा एकत्र करने की बहुलता के कारण—वह अक्सर खंडित, अधूरा, बिखरा हुआ और विषम होता है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए निर्णय लेने में सहायता के लिए इसे उपयोगी जानकारी में संसाधित करना मुश्किल हो जाता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार द्वारा 2018 में जल संसाधनों और संबद्ध विषयों पर डेटा के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करने के लिए NWIC की स्थापना की गई थी। हालांकि, एनडब्ल्यूआईसी देश के लिए देश भर में डिजिटल वॉटर डेटाबेस और संबंधित स्थानिक डेटा को बनाए रखता है और इसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म (INDIA:WRIS) के माध्यम से प्रसारित करता है, राज्य विशिष्ट सूक्ष्म स्तर और मांग पक्ष डेटा है जिसे राज्यों द्वारा बेहतर तरीके से एकत्र और रखरखाव किया जा सकता है। इससे राज्य स्तर पर राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्रों (SWIC) की स्थापना की अवधारणा सामने आयी SWIC द्वारा निष्पादित की जाने वाली प्रमुख भूमिका विभिन्न राज्य विभागों/एजेंसियों से डेटा एकत्र करना, मानक प्रारूपों के अनुसार डिजिटलीकरण, सत्यापन और राज्य विशिष्ट डेटा बेस में इसे प्रविष्टि करना है। NWIC राज्यों से नाममात्र के बजटीय समर्थन पर काम करने के लिए SWIC के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, डेटा—बेस तैयार करने, विश्लेषणात्मक उपकरणों के विकास, जेनेरिक उत्पादों और निर्णय समर्थन प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रयास राज्य को करना होगा। उपरोक्त कार्य हेतु पृथक से सेटअप स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बजट के नवीन मद में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।



भाग - 7

सहभागिता सिंचाई प्रबंध (पी.आई.एम.)

राज्य के विकास में जल संसाधनों का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान हैं। जल के बिना कृषि विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। समग्र आर्थिक विकास तभी सार्थक हो सकता है जब राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं विकास की प्रक्रिया में हितग्राहियों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हो। सिंचाई जल प्रबंधन में कृषकों की सक्रिय भागीदारी कृषक संगठनों के माध्यम से संभव है।



सेंच्य क्षेत्र के कृषकों की जागरूकता हेतु कार्यशाला

इसी उद्देश्य से सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 के तहत 9 फरवरी 2007 में चुनाव करा कर 1324 जल उपभोक्ता संथाओं का गठन किया गया था। इन संथाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को अनिवार्य प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तथा राजस्व वसूली आदि वित्तीय अधिकार देकर इन संथाओं को स्वावलंबी बनाया गया। जल उपभोक्ता संथाओं को तकनीकी परामर्श जल संसाधन विभाग द्वारा दिया जाता रहा है। वर्तमान में जल उपभोक्ता संथाओं का कार्यकाल पूरा हो गया है तथा उनमें संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रभावशील है। नवीन जल उपभोक्ता संथाओं के परिसीमन एवं चुनाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भाग – 8

पारदर्शी निविदा आमंत्रण एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली

8.1 निविदा आमंत्रण की पद्धति

विभाग में पारदर्शिता एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हेतु निविदा आमंत्रण के लिये इलेक्ट्रानिक प्रोक्यूरमेंट पद्धति से निविदाएँ आमंत्रित की जा रही है। विभाग में प्रभावी वित्तीय नियंत्रण एवं पारदर्शिता के लिये जुलाई 2012 से आनलाईन ई-वर्कस पर बजट आबंटन तथा चेक मुद्रण आदि कार्य प्रारंभ किये जाने से अनुबंधित कार्यों पर स्वीकृति/उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही भुगतान हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 27.01.2014 से एकल पंजीयन व्यवस्था पद्धति द्वारा लोक निर्माण विभाग को नोडल एजेन्सी बनाने के फलस्वरूप ठेकेदारों का पंजीयन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है एवं पंजीकृत ठेकेदारों को यूनिक आई.डी. ऑनलाईन प्रदान किया जाता है। जनवरी 2018 से विभागीय निविदाओं का संचालन प्रमुख अभियंता कार्यालय के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है।

8.2 विभाग में सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.)

8.2.1 विभाग में कार्यरत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं कार्यपालिक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के सम्पूर्ण Bio Data का संकलन HRM Module के अंतर्गत किया जा रहा है। इस Module का उपयोग आगामी पदक्रम सूची तैयार करने तथा स्थानांतरण हेतु किया जा सकेगा।

8.2.2 विभाग की निर्माणाधीन योजनाओं की जानकारी, त्वरित गति से प्राप्त करने तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिये Progress Monitoring Module (PROMON) के अंतर्गत योजनाओं की जानकारी का संकलन किया जा रहा है। यह Module निर्माणाधीन कार्यों में आने वाली रुकावटों को केन्द्रित करने तथा आवश्यक बजट की उपलब्धि को सुनिश्चित करने एवं उन पर त्वरित निर्णय लेने में उच्चाधिकारियों के लिये सहायक है। विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा इसका उपयोग प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2019–20 से Promon Module को Deposit Works (जमा कार्यों) के लिए भी परिष्कृत कर संचालन किया जा रहा है।

8.2.3 विभाग की निर्मित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा निर्मित योजनाओं से वास्तविक सिंचाई की समीक्षा के लिये WR Module के अंतर्गत योजनाओं की जानकारी का संकलन किया जा रहा है। यह Module निर्मित योजनाओं द्वारा उनकी क्षमता अनुसार सिंचाई न कर पाने वाली दिक्कतों को केन्द्रित करने तथा उन पर त्वरित निर्णय लेने में उच्चाधिकारियों के लिये सहायक है। विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा इसका उपयोग प्रारंभ किया जा रहा है।

8.2.4 राज्य में निर्मित जलाशयों में जल भराव के आंकड़ों की जानकारी पत्र वाहक अथवा दूरभाष के माध्यम से उच्च कार्यालयों में प्रेषित की जाती रही है। इस कार्य को संपादित किये जाने में अत्याधिक समय लगता है। इसके दृष्टिगत विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) के सहयोग से प्रदेश के जलाशयों में जल भराव की जानकारी तत्काल प्राप्त करने हेतु Real Time Application Software “नीरनिधि” तैयार कर जून 2016 से वृहद एवं मध्यम जलाशयों के जल भराव की जानकारी निरंतर संकलित की जा रही है। यह Software डेस्कटॉप कम्प्यूटर तथा एन्ड्रॉयड मोबाईल पर संचालित किया जा रहा है।

8.2.5 विभाग में विगत 5 वर्षों से एकीकृत PQ Certificate ऑनलाईन के माध्यम से सफलतापूर्वक बनाया जा रहा है। यह Certificate ठेकेदारों को उनके द्वारा पूर्व में निविदा अर्हता में लगने वाले समस्त दस्तावेज यथा IT Return, किए गए कार्यों के भौतिक सर्टिफिकेट इत्यादि के स्थान पर एक Certificate Upload करने की सुविधा देता है।

8.3 गुणवत्ता प्रबंधन

विभाग के सभी कार्य सार्वजनिक धन के उपयोग पर आधारित है, अतः यह महत्वपूर्ण है कि वित्तीय संसाधनों का अधिकतम एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जावें। इस दृष्टि से विभाग द्वारा समय—समय पर निर्माण कार्यों में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये निर्माण तकनीक तथा गुणवत्ता प्रबंधन के लिये प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं एवं देश में अन्यत्र आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि निर्माण कार्यों की देख रेख एवं संचालन में गुणवत्ता सुनिश्चित किया जा सके। विभागीय निर्माण कार्यों की निविदाओं में निर्माण उपरांत 5 वर्षों के लिये रख—रखाव का उत्तरदायित्व भी ठेकेदार के लिये अनिवार्य शर्त रखी गयी है। इससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों के पालन के प्रति सजगता एवं जिम्मेदारी की भावना का सृजन हुआ है। ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण निर्माण करके सार्वजनिक धन के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग को न केवल सुनिश्चित करते हैं, बल्कि एक लम्बी अवधि तक उनका रख रखाव भी करते हैं। जिसका सीधा लाभ जन सामान्य को प्राप्त होता है।

8.4 जल आबंटन प्रक्रिया/प्रणाली को ऑनलाईन किया जाना

Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) भारत शासन द्वारा Ease of doing Business 2017, हेतु कार्यवाही योग्य बिन्दुओं में से जल संसाधन विभाग से संबंधित जल आबंटन प्रक्रिया/प्रणाली को ऑनलाईन करते हुए दिनांक 04.12.2020 को अपरान्ह से सर्वर पर स्टम्प कर दिया गया है। जिसका URL www.cgwrd.in है। उक्त URL के Water Allotment खण्ड पर Live किये गये software को access किया जा सकता है। प्राप्त दिशा—निर्देश एवं अन्य functionalities को समाहित करते हुए संशोधित software को भी दिनांक 17.12.2020 को विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस आनलाइन प्रणाली को उद्योगों के साथ—साथ, पेयजल हेतु एवं भू—जल उपयोग आदि समस्त प्रकार के जल आबंटन हेतु जल उपयोगकर्ता की सुविधा की दृष्टि से स्पष्ट किया गया है। इस तरह राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों/पेयजल हेतु नगरीय निकायों को विभाग द्वारा त्वरित एवं Contactless जल आबंटन की सुविधा प्रदाय की जा रही है, जो औद्योगिक विकास के साथ—साथ राज्य के समग्र विकास को गति प्रदान करेगी।

8.5 ई-वर्क्स, ई-कोष एवं ई-कुबेर का एकीकरण

छत्तीसगढ़ शासन ने “छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही कार्यक्रम (CGPFMAP)”एक विश्व बैंक सहायतित कार्यक्रम के अंतर्गत ई-वर्क्स, ई-कोष एवं ई-कुबेर के एकीकरण करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य एक नजर में विभिन्न विभागों को प्रदान किए गए बजट उपयोग में पारदर्शिता, सुचारू प्रबंधन और उचित निगरानी लाना है। पहले पूरी प्रक्रिया या तो मैन्युअल रूप से या विभागवार संचालित की जाती थी, ई-वर्क्स, ई-कोष एवं ई-कुबेर के एकीकरण के बाद बजट प्रबंधन और इसके उचित एवं समय पर उपयोग की समस्या हल हो गई है।

शासन अब यह भी निगरानी रख सकती है कि विभाग को दी गई धनराशि का समय पर उपयोग हुआ या नहीं और यदि इसे अप्रयुक्त रखा गया है, तो शासन जल्द ही बजट के पुनर्विनियोजन का निर्णय ले सकती है और आवश्यकतानुसार इसे अन्य विभाग में स्थानांतरित कर सकती है। इस प्रकार, इस एकीकरण प्रणाली ने शासकीय भुगतान प्रक्रिया में बजट के कुशल प्रबंधन एवं उपयोग को भी सुनिश्चित किया है।

जल संसाधन विभाग ने निर्धारित समय के भीतर इस एकीकरण और कार्यप्रणाली में बदलाव को सुनिश्चित करके सरकार के इस उद्देश्य को पूरा किया है, इसके लिए ई-वर्क्स सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया था और इसे फरवरी 2023 से पायलट आधार पर और उसके बाद अप्रैल 2023 से संपूर्ण विभाग में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

अपलोड करने की कार्यवाही संपादित की जा रही है, जिसके तहत e-procurement के माध्यम से उन्हीं कार्यों को निविदा प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, जो विभागीय बजट में शामिल है एवं जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा विभागीय पोर्टल में भी आवश्यक संशोधन समय-सीमा में चिप्स से सामन्जस्य स्थापित कर, संपादित कर लिया गया है।

1. निविदा के ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु संभाग स्तर द्वारा प्रस्तुत work code एवं प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति की जानकारी सही है या नहीं यह e-procurement system द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
2. एकीकरण के परिणामस्वरूप e-procurement पर निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभागीय वेबसाइट में e-procurement पर न्यूनतम निविदाकार का विवरण एवं कार्य संबंधित अन्य विवरण मैनुअली दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।
3. चिप्स और विभाग के बीच उचित डेटा साझाकरण के कारण सुगम work flow condition विकसित हो चुकी है, जिसका भविष्य में ऑनलाइन सिस्टम एवं फायरेंसियल सिस्टम को अधिक पारदर्शिता विकसित करने में प्रयोग किया जा सकेगा।
4. एकीकरण के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में तेजी के साथ-साथ प्रावधानित बजट का समुचित एवं समय पर उपयोग तथा कार्य प्रवाह में पारदर्शिता देखी गई।

भाग – 9

जल संसाधन विकास नीति-2022

जल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों पर अपनी जीविका हेतु निर्भर है। राज्य के जल की मांग-पूर्ति वर्षा पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से वर्षा में लगातार गिरावट देखी जा रही है। नये राज्य के गठन के उपरांत बढ़ते शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और जीवनशैली में परिवर्तन के कारण जल की मांग कुछ क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है।

वर्तमान में प्रचलित अधिनियम निम्नानुसार है :—

छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931

छत्तीसगढ़ सिंचाई नियम, 1974

उपरोक्त अधिनियम पुराने एवं अनुपयोगी हो चुके हैं। इनके प्रावधानों का संशोधित कर आज की आवश्यकता के अनुसार संवैधानिक रूप से छत्तीसगढ़ जल संसाधन विकास नीति-2022 (Chhattisgarh Water Resources Development Policy-2022) को दिनांक 24.05.2022 को अधिसूचित किया गया है, जिसके निम्न उद्देश्य हैं :—

1. जल संसाधनों का विकास सुनियोजित प्रकार से करना है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हो, जल स्रोतों और जल निकास मार्गों का अतिक्रमण एवं अन्य उपयोगों में नहीं होने देना और जहां भी ऐसा हुआ है, इसे व्यवहार्य सीमा तक पुनःस्थापित एवं उचित अनुरक्षण किया जाना।
2. सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा वृष्टि क्षेत्र में जल संसाधनों के विकास के तकनीकी दृष्टि से साध्य हर संभव प्रयास करना एवं सूखे से निपटने के लिए विभिन्न कृषि कार्यनीतियों को विकसित करना।
3. पेयजल एवं कृषि हेतु आवश्यक जल ऐसी व्यवहारिक दरों पर उपलब्ध कराना, जिससे कम से कम संधारण व्यय की पूर्ति हो सके।
4. जल संसाधनों के विकास एवं संधारण में जल उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जल उपभोक्ता संस्थाओं को जल शुल्क एकत्रित करने एवं एक निर्धारित हिस्सा रखने, उन्हें आवंटित जल की मात्रा का प्रबंधन करने और उनके अधिकार क्षेत्र में वितरण प्रणाली के रखरखाव के लिए वैधानिक शक्तियां दिया जाना।
5. संपूर्ण जनसंख्या में जल के विभिन्न उपयोग/उपभोक्ताओं हेतु समुचित संस्थागत एवं कानूनी ढांचे के तहत जल प्रदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
6. जल प्रबंधन एवं गुणवत्ता में सुधार के विभिन्न उपाय करना।
7. सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में सुधार के विभिन्न उपाय करना।
8. पर्यावरण संतुलन एवं इसे बनाये रखने के विभिन्न उपाय करना।

भाग – 10

भविष्य की योजनाएं (Future Vision)

भविष्य की आवश्यकताओं के लिए नई परियोजनाओं का निर्माण :

जल संसाधन विभाग आने वाले समय में राज्य की बढ़ती हुई पेयजल एवं सिंचाई आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह सजग है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से महानदी जल विवाद के परिपेक्ष्य में भी राज्य के हिस्से के पानी के समुचित उपयोग के लिये भी भविष्य की योजनाओं के निर्माण पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत नयी परियोजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन तथा क्रियान्वयन के लिये प्रयास जारी है। जिससे अब तक व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल को, जल की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोग कर राज्य की बेहतरी एवं समृद्धि के उद्देश्यों को पुरा किया जा सके। वर्तमान में अब तक निम्न योजनाओं पर कार्य एवं मंथन विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है :-

- ❖ सिकासार—कोडार नहर लिंकिंग परियोजना
- ❖ इन्द्रावती नदी पर बोधघाट वृहद परियोजना
- ❖ अहिरन—गाजरीनाला (खारंग अहिरन लिंक परियोजनाद्वारा जल संवर्धन योजना।
- ❖ छपराठोला फीडर जलाशय योजना।
- ❖ कुम्हारी जल आवर्धन योजना।
- ❖ पैरी—महानदी इंटनलिंकिंग योजना।
- ❖ शेखरपुर जलाशय परियोजना
- ❖ डांडपानी जलाशय परियोजना
- ❖ रेहर अटेम (जिंक) लिंक परियोजना
- ❖ मोंगरा—खरखरा जल संवर्धन (लिंक) योजना।
- ❖ आमामुड़ा जल आवर्धन योजना।

सिकासार—कोडार इंटरलिंकिंग परियोजना :-

सिकासार वृहद सिंचाई परियोजना जो कि गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर स्थित है। योजना से पूर्ण रूपांकित क्षमता के अनुरूप जल उपयोग के बाद भी लगभग 100 मि.घ.मी. ज गैर मानसून स्रोत में बचा रहता है, जिसका उपयोग पानी के कम आवक वाले कोडार एवं केशवा जलाशय जो कि महामुंद जिले में स्थित है, में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

सिकासार जलाशय का न्यूनतम जल भराव स्तर 393.13 मीटर, कोडार जलाशय का अधिकतम जल भराव स्तर 295.33 मीटर तथा केशवा जलाशय का अधिकतम जल भराव स्तर 338.40 मीटर है जिस पर लगभग 112 कि0मी0 का लिंक नहर बनाया जाकर पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है। योजना का सर्वेक्षण हेतु प्राक्कलन स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है। सर्वेक्षण एवं विस्तृत अध्ययन उपरांत योजना की उपयुक्तता (Feasibility) का आंकलन किया जा सकेगा।



सिकासार परियोजना



कोडार जलाशय दौँयीं तट नहर

अन्य योजनाएं :—

सं. क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत (राशि रु. करोड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5
1	खारंग अहिरन लिंक परियोजना	बिलासपुर	720.52	परियोजना क्रियान्वयन समिति (पी.एफ.आई.सी.) से स्वीकृत / बिलासपुर नगर के पेयजल हेतु प्रस्तावित।
2	छपराटोला फीडर जलाशय	बिलासपुर	968.56	परियोजना क्रियान्वयन समिति (पी.एफ.आई.सी.) से स्वीकृत / अरपा नदी के पुनर्जीवन एवं कोटा, बिलासपुर की जलीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	कुम्हारी जलाशय जल आवर्धन योजना	रायपुर	12.00	सिमगा क्षेत्र के 42 ग्रामों के सिंचाई हेतु। शासन द्वारा योजना की पुनः प्रशासकीय स्वीकृति रु. 11.62 करोड़ प्रदाय की जा चुकी है।
4	पैरी—महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना	गरियाबंद	7479.08	औद्योगिक, जल एवं 09 नगरों के पेयजल आपूर्ति हेतु।
5	शेखरपुर बांध परियोजना	जशपुर	1080.05	वृहद परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 82061.58 लाख का प्रस्ताव शासन को दिनांक 13.06.2022 को प्रेषित किया गया था। शासन के पत्र दिनांक 10.10.2022 द्वारा आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता को मूलतः पावस किया गया है। योजना से 22500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल, निस्तारी तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रस्तावित है।
6	डांडपानी बांध परियोजना	जशपुर	1235.21	वृहद परियोजना 38000 हेक्टेयर सिंचाई पेयजल, निस्तारी एवं औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव होगी। प्रशासकीय स्वीकृति हेतु रु. 1235.21 करोड़ का प्रस्ताव दिनांक 13.10.2021 के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है।
7	रेहर अटेम (जिंक) लिंक परियोजना	सरगुजा	395.00	रेहर नदी से 100 मि.घ.मी. अतिरिक्त जल का अंतरण किये जाने हेतु। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
8	मोंगरा—खरखरा जल संवर्धन (लिंक) योजना	राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद	72.00	क्षेत्रों में व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल को, जल की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जावेगा।
9	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भू—जल घटक (PMKSY/HKKP)	बस्तर अंचल के सात आकांक्षी जिलों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भू—जल घटक अन्तर्गत 6868 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई सुविधा दी जा सकेगी। योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है, जिसमें नई दिशा—निर्देश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रस्ताव अप्राप्त है।	256.00	राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर अंचल के सात आकांक्षी जिलों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भू—जल घटक अन्तर्गत 6868 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई सुविधा दी जा सकेगी। योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है, जिसमें नई दिशा—निर्देश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रस्ताव अप्राप्त है।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद (Inter State Water Dispute)

महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण :-

छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्य के मध्य महानदी जल विवाद के तहत मुख्य रूप से ओडिशा द्वारा ग्रीष्मकाल में हीराकुण्ड बांध में जल की कमी का उल्लेख कर छत्तीसगढ़ से अधिक जल की मांग की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ का कहना है कि, हीराकुण्ड परियोजना की मूल आवधारणा एवं निर्धारित उपयोग का अतिक्रमण कर ओडिशा द्वारा औद्योगिक प्रयोजन एवं सिंचाई के लिए अधिक जल का उपयोग किया जा रहा है. जिसके लिए छत्तीसगढ़ उत्तरदायी नहीं है। इस विवाद के निराकरण हेतु दोनों राज्यों के बीच उच्चस्तरीय विभिन्न बैठक आयोजित कर समाधान करने की कोशिश की गई है। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार महानदी जल विवाद प्राधिकरण (MWDT) का गठन तकनीकी कारणों से किया गया है तथा प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में MWDT द्वारा अब तक कुल 34 बैठकें / सुनवाई की जा चुकी हैं। वर्तमान में MWDT के निर्देशानुसार ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ के संयुक्त दल द्वारा दोनों राज्यों की मुख्य जल संग्रहण परियोजनाओं के स्थल निरीक्षण किये गये हैं। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा विवाद के 46 मुद्दों (Issues) का निर्धारण किया जा चुका है। राज्य शासन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन हेतु सभी संबंधित विभागों के समन्वय से आँकड़ों का एकत्रीकरण 69 CFR प्रपत्रों के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि राज्य के हितों का संरक्षण प्रभावी तरीके से किया जा सके।

केन्द्रीय जल आयोग के निर्देशानुसार इन्द्रावती नदी की सहायक नदी जोरानाला पर कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाकर Lean Season में दोनों राज्यों को बराबर मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, परन्तु वर्तमान में राज्य को बराबर मात्रा में जल प्राप्त न होने के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण दायर करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।





अप्रैल एवं मई माह में दो चरणों में संपन्न महानदी जल विवाद न्यायाधीकरण के माननीय सदस्यों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत महानदी में बने संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर मैदानी निरीक्षण करती हुई टीम

गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण :—

दिनांक 02.04.1980 के अनुबंध में आर.एल. 150 फीट के ऊपर संभावित छत्तीसगढ़ राज्य की डूबान प्रभावित संपत्तियों के संबंध में उल्लेख है आंध्रप्रदेश राज्य सुनिश्चित करेगा कि :—

(अ) आर.एल. 150 फीट के ऊपर स्थित समस्त भवनों एवं भूमि का मुआवजा भुगतान तथा विस्थापितों का पुनर्वास उसी प्रकार करेगा जैसा कि आर.एल. 150 फीट के नीचे आने वाले डूबान क्षेत्र के लिए किया जाएगा।

अथवा

(ब) आर.एल. 150 फीट के ऊपर संभावित डूबान क्षेत्र के लिए आंध्रप्रदेश राज्य स्वयं के व्यय पर आवश्यक सुरक्षात्मक तटबंधों का निर्माण एवं रखरखाव पर्याप्त पंप व्यवस्था सहित करेगा।

उपरोक्त में से छत्तीसगढ़ राज्य किसी एक विकल्प का चयन पोलावरम परियोजना के निर्माण के समय कर सकेगा।

पोलावरम परियोजना के निर्माण में छत्तीसगढ़ शासन की आपत्तियां :—

आंध्रप्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित सुरक्षात्मक तटबंधों के निर्माण से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दर्शित छत्तीसगढ़ राज्य में शून्य डूबान की शर्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन की आपत्तियां :—

- पोलावरम परियोजना की स्वीकृति में गोदावरी जल विवाद अभिकरण द्वारा पारित अवार्ड की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के कोंटा में अधिकतम डूबान स्तर आर.एल. 177.44 फीट प्रस्तावित किया गया है, जो 07.08.1978 के अनुबंध में उल्लेखित आर.एल. से अधिक है।
- इसके अतिरिक्त आर.एल. 150 फीट से ऊपर स्थित छत्तीसगढ़ के डूब प्रभावित क्षेत्र को बचाने के लिए सुरक्षात्मक तटबंध का निर्माण पूर्ण जलाशय स्तर की सीमा से हटाकर शबरी नदी के दोनों किनारों पर प्रस्तावित किया गया है। शबरी नदी तट पर सुरक्षात्मक तटबंधों के निर्माण हेतु गोदावरी जल विवाद अभिकरण के अवार्ड में उल्लेखित शर्तों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य से सहमति नहीं ली गई है।
- भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 20.10.2005 के पूर्व ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 1994 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सुनवाई नहीं की गई है।
- भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.04.2007 को प्रदत्त स्वीकृति के पूर्व अनुसूचित क्षेत्र में PESA-1996 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के डूबान प्रभावित ग्रामों में ग्रामसभा की सहमति प्राप्त नहीं की गई है।
- पोलावरम परियोजना के Design Flood 36 लाख क्यूसेक के आधार पर शबरी नदी एवं गोदावरी नदी के संगम स्थल (कुन्नावरम्) से लगभग 59.25 किमी⁰ ऊपर की ओर शबरी नदी पर 212.02 फीट तक भी पानी Back Water की स्थिति में आ सकता है।

भाग – 12

विगत वर्षों की उपलब्धियाँ

पेयजल एवं निस्तारी

जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल एवं निस्तारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य स्थापना से अब तक प्रदेश में कुल 63 नगरीय निकायों को 256.51 मि.घ.मी. वार्षिक, मिशन अमृत अंतर्गत कुल 6 शहरों को 119.02 मि.घ.मी. वार्षिक एवं जल जीवन मिशन अमृत अंतर्गत कुल 11 ग्रामीण समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं हेतु 26.23 मि.घ.मी. वार्षिक, इस प्रकार कुल 80 पेयजल प्रदाय योजनाओं हेतु 401.76 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2023–24 में ग्रामीण क्षेत्रों के 4941 निस्तारी तालाबों को जल प्रदाय किया गया है।

राजस्व वसूली

वर्ष 2003–04 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ रु. 48.95 करोड़ थी, जो वर्तमान में वर्ष 2023–24 में दिसंबर 2023 तक 595.05 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की गई है।

सिंचाई सर्वोच्च प्राथमिकता

योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं निर्मित तथा वास्तविक सिंचाई के अंतर को कम करने हेतु विभाग ने विशेष ध्यान देकर कार्ययोजना बनाई तथा पुरानी जीर्ण योजनाओं के उन्नयन एवं जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के प्रयास किये हैं। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2023–24 में दिसम्बर 2023 तक सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 1328417 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक खरीफ सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।

जल नीति

जल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से वर्षा में लगातार गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं जल संसाधनों के दक्ष दोहन हेतु एक प्रभावी एवं व्यवहारिक “जल संसाधन विकास नीति–2022” तैयार कर दिनांक 24.05.2022 को अधिसूचित किया गया है।

नदियों का संरक्षण एवं संवर्धन

विश्व में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप हो रहे विपरीत प्रभाव के दृष्टिगत प्रदेश में नदियों के किनारे वृक्षारोपण सहित जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही एवं कोरबा जिले के लिए अरपा नदी के संरक्षण हेतु अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण तथा जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव के लिए इन्द्रावती नदी के संरक्षण हेतु इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना (DRIP-II)

प्रदेश में निर्मित वृहद मध्यम योजनाएं सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिस्थितिया हैं, जिनका समय-समय पर सुधार एवं पुनर्वास आवश्यक है। राज्य में निर्मित वृहद, मध्यम एवं लघु बांधों के पुनर्वास एवं सुधार कार्य हेतु भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित योजना DRIP (Dam Rehabilitation & Improvement Project) के अन्तर्गत राज्य के प्रमुख बांध सुरक्षा एवं बांधों के सुधार हेतु रु. 631.69 करोड़ के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं, जिसमें से DRIP-II योजना अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से बांध सुरक्षा/पुनर्वास हेतु मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) को वृहद परियोजना हेतु रु. 81.12 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति एवं मध्यम परियोजना पेण्ड्रावन जलाशय हेतु 32.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 3 कार्य प्रगतिरत है तथा 3 कार्यों की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।



DRIP II कांफ्रेंस मदुरई, तमिलनाडु

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के परिप्रेक्ष्य में राज्य की गतिविधियाँ

- 1. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति** – यह अधिनियम राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के द्वारा की जायेगी। समिति के कार्यों में बांध सुरक्षा मानदण्डों से संबंधित नीतियां एवं विनियम बनाना तथा बांधों को क्षतिग्रस्त होने से रोकना एवं बड़े बांधों के टूटने के कारणों का विश्लेषण करना एवं बांध सुरक्षा प्रणालियों में बदलाव का सुझाव देना शामिल होंगे।
- 2. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण** – यह अधिनियम राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है, इस प्राधिकरण का प्रमुख एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे स्तर का अधिकारी नहीं होगा एवं इसे केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति द्वारा निर्भित नीतियों को लागू करना शामिल है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण बांधों के निर्माण, डिजाईन तथा उसमें परिवर्तन पर काम करने वाली एजेंसियों को मान्यता देगी तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच एवं राज्य बांध सुरक्षा संगठनों और उस राज्य के किसी बांध मालिक के बीच विवादों को सुलझाना, बांधों के निरीक्षण और जांच के लिए विनियम को निर्दिष्ट करना।
- 3. राज्य बांध सुरक्षा समिति** – शासन द्वारा दिनांक 07.07.2022 को राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग हैं तथा जल संसाधन विभाग एवं अन्य विभाग/मंडल/संस्था के 5 मुख्य अभियंता, राज्य के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में स्थित राज्यों यथा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना के 5 प्रतिनिधि तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नामांकित केन्द्रीय जल आयोग का 1 प्रतिनिधि तथा एन. आई. टी. रायपुर या आई. आई. टी. भिलाई से हाइड्रोलॉजी या बांध रूपांकन से संबंधित 2 सदस्य तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नामांकित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का 1 प्रतिनिधि के साथ राज्य के बांधों के dam failure related disaster को रोकने के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक वर्ष में 2 बार होगी तथा 1 बैठक मानसून पूर्व आयोजित की जाएगी।
- 4. राज्य बांध सुरक्षा संगठन** – शासन द्वारा दिनांक 14.11.2022 को राज्य बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया गया है, जिसके कार्य करने के लिए 1 मुख्य अभियंता, राज्य बांध सुरक्षा संगठन, 2 अधीक्षण अभियंता राज्य बांध सुरक्षा संगठन, 3 कार्यपालन अभियंता राज्य बांध सुरक्षा संगठन, 3 सहायक अभियंता राज्य बांध सुरक्षा संगठन तथा 1 सहायक मानचित्रकार को राज्य बांध सुरक्षा संगठन के कार्यों को संपादित करने के लिए आदेशित किया गया है। जिसके लिये शासन द्वारा 50 पदों के सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अधिनियम अनुसार यह आवश्यक है कि राज्य के अंतर्गत समस्त बड़े बांधों, जिनकी संभावित संख्या 347 (346 जल संसाधन विभाग द्वारा तथा 01 निजी क्षेत्र द्वारा) है, का निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर जानकारी का संकलन करते हुए राज्य बांध सुरक्षा समिति को तय समय— सीमा में प्रस्तुत किया जाना है। इसके अतिरिक्त उक्त बांधों के रख—रखाव एवं मरम्मत हेतु निगरानी तथा बांधों के क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए एवं क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आवश्यक उपचार बाबत् प्रस्ताव भी राज्य बांध सुरक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाना है। इसके लिए आवश्यक सेटअप स्वीकृत किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2022


राज्य में विशेष रूप से संकटग्रस्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से भू-जल का अविरत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भू-गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन, नियंत्रण तथा विनियमन और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2022 अधिसूचित किया गया है।

इस अधिनियम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर राज्य भू-जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है, इस प्राधिकरण में 16 सदस्य होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में भू-जल प्रबंधन का दीर्घकालीन कार्य करने का अनुभव रखने वाले सार्वजनिक/अशासकीय संगठन/सामाजिक क्षेत्र से 3 विषय विशेषज्ञ एवं 1 भू-जल के क्षेत्र में कार्य करने वाला सार्वजनिक/गैर सार्वजनिक संगठन/सामाजिक क्षेत्र का प्रख्यात व्यक्ति को नामित करने का प्रावधान किया गया है, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग इसके सदस्य सचिव एवं नोडल कार्यपालिक अधिकारी हैं। यह प्राधिकरण अधिसूचित/गैर अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक/वाणिज्यिक/खनन के लिए भू-जल निकासी की अनुमति देगा।

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला भू-जल प्रबंधन परिषद गठन करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर, जिला भू-गर्भ जल शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे।

विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में विकासखण्ड स्तरीय भू-गर्भ जल उपयोक्ता पंजीकरण समिति का गठन करने करने का प्रावधान किया गया है।

उपयुक्त निकाय में पंजीकरण न कराने पर या नियमों के उल्लंघन किये जाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन एवं विनियमन) नियम 2023 लागू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।



भाग – 13

विभागीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा

रायपुर ट्रेनिंग सेंटर में संपन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, वर्ष 2023–24

रायपुर ट्रेनिंग सेंटर में वर्ष 2023–24 में नवनियुक्त उप अभियंताओं (सिविल) को तकनीकी विषयों से संबंधित आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया। जिसके लिये उप अभियंताओं का 40–40 की संख्या में 10 बैच बनाकर प्रत्येक बैच के लिये 06 दिवसीय प्रशिक्षण की तिथिवार कार्यक्रम निम्नानुसार तैयार किया गया :—

स.क्र.	बैच	प्रशिक्षण अवधि
1.	बैच–01	03 जुलाई से 08 जुलाई 2023
2.	बैच–02	10 जुलाई से 15 जुलाई 2023
3.	बैच–03	17 जुलाई से 22 जुलाई 2023
4.	बैच–04	24 जुलाई से 29 जुलाई 2023
5.	बैच–05	31 जुलाई से 05 अगस्त 2023
6.	बैच–06	07 अगस्त से 12 अगस्त 2023
7.	बैच–07	14 अगस्त से 19 अगस्त 2023
8.	बैच–08	21 अगस्त से 26 अगस्त 2023
9.	बैच–09	28 अगस्त से 02 सितंबर 2023

इसके अतिरिक्त नवनियुक्त उप अभियंता (सिविल) का आधारभूत प्रशिक्षण एवं पूर्व में नव नियुक्त समस्त उप अभियंताओं का प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रम रायपुर ट्रेनिंग सेंटर में संपन्न करने हेतु मार्च 2024 तक का कार्यक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है:—

स.क्र.	बैच	प्रस्तावित प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का कोर्स
1.	बैच–10	08 जनवरी से 13 जनवरी 2024	आधारभूत प्रशिक्षण
2.	बैच–01	29 जनवरी से 03 फरवरी 2024	प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण
3.	बैच–02	12 फरवरी से 17 फरवरी 2024	प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण
4.	बैच–03	26 फरवरी से 02 मार्च 2024	प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण
5.	बैच–04	11 मार्च से 16 मार्च 2024	प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण
6.	बैच–05	18 मार्च से 23 मार्च 2024	प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण



रायपुर ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित उप अभियंताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम



प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक सर्वे तकनीक का प्रशिक्षण

भाग – 14


सफलता की कहानी

1. बड़गांव सायफन की सफलता की कहानी

खरखरा जलाशय परियोजना एक मध्यम सिंचाई परियोजना है, जो विकासखण्ड डौण्डीलोहारा, जिला बालोद में वर्ष 1964 से निर्मित है। योजना का जल ग्रहण क्षेत्र 371.66 वर्ग कि.मी. है। खरखरा परियोजना को वर्ष 1964 में मूलतः भिलाई स्पात सयंत्र को 2.00 TMC पानी प्रदाय करने निर्माण किया गया था। योजना की बांधपार की लम्बाई 1440 मी. उंचाई 27.74 मी. एवं खरखरा फीडर नहर की लम्बाई 34.00 कि.मी. की है। इस नहर प्रणाली से 14.16 Cumec Head Discharge प्रवाहित किया जाता है।

खरखरा फीडर नहर के आर.डी. 10.00 कि.मी. पर Under Piping (भोंक) हो जाने के कारण नहर बार-बार क्षतिग्रस्त हो रहा था, जिसके वजह से किसानों का नुकसान होता था एवं बार-बार मरम्मत कार्य कराये जाने से शासन को भी अतिरिक्त व्यय के रूप में सालाना नुकसान तथा जल का अपव्यय होता था। उक्त समस्याओं के समाधान हेतु बड़गांव Canal Siphon का निर्माण किया गया है। जल प्रवाह अनवरत बनाये रखने के लिए Canal Siphon के दाँये तट की ओर तटबंध कार्य भी किया गया है।

क्षतिग्रस्त होने वाले 375 मी. दाँये तट की सुरक्षा एवं स्थिरता बनाये रखने के लिये आर.सी.सी. वक्र किया गया। उक्त कार्य के संपादन से पानी के अपव्यय का रोकथाम एवं बार-बार नहर के टुटने से बचाने के लिए स्थायी उपचार हो जाने से ग्रामीण एवं संबंधित पीड़ित कृषक वर्ग अंत्यंत हर्षित है।



2. करहनी एनीकट : हाइड्रोमेक्निकल पंप आधारित उदवहन सिंचाई योजना, ग्राम करहनी जिला – गौरला–पेण्ड्रा— मरवाही

करहनी एनीकट : हाइड्रोमेक्निकल पंप आधारित उदवहन सिंचाई योजना सोन नदी में निर्मित है योजना में 01 टरबाईन पंप एवं 01 रेम पंप का डिजाईन एवं सप्लाई भारतीय विज्ञान संस्थान (I.I.Sc.), बैंगलार द्वारा किया गया है योजना की मुख्य विशेषता यह है कि पंप को बिजली या सौर ऊर्जा जैसी किसी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं है। योजना के द्वारा 100 एकड़ खरीफ तथा 100 एकड़ रबी एवं 50 एकड़ ग्रीष्म फसल की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

जिला—गौरला—पेण्ड्रा—मरवाही जिला मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम करहनी हाइड्रो—मेकेनिकल पंप आधारित उद्ववहन सिंचाई योजना का निर्माण (मनरेगा तथाजिला खनिज न्यास संस्थान) मद् से जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया है। इसयोजना के फलस्वरूप कृषकों को खरीफ एवं रबी फसल के साथ—साथ ग्रीष्मकालीन फसल लेने के अवसर प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत रैम पंप तथा टरबाईन पंप के द्वारा पानी लिपट कर 16 मी. ऊंचाई तथा 750 मी. दूरी पर स्टोरेज टैंक में संग्रहित किया जाता है, तथा वहा से फिल्ड चैनल द्वारा खेतों में पानी की आपूर्ति की जाती है। इस वर्ष खरीफ फसल में 40 हेक्टेयर (100 एकड़) क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी। योजना से पूर्व फसल के लिए कृषक पूर्णतः वर्षा भर निर्भर थे, एवं केवल वर्षा आधारित खरीफ की फसल की पैदावार करते थे, खरीफ की फसल में समय पर वर्षा नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी, एवं कृषकों को नुकसान उठाना पड़ता था, साथ ही रबी तथा ग्रीष्मकालीन फसल वर्षा के अभाव में ले पाना संभव नहीं था, जिस वजह से कृषक खरीफ फसल के बाद मजदूरी कार्य पर आश्रित थे। योजना से पूर्व प्रति एकड़ 10—15 विंटल धान की फसल का उत्पादन था जो योजना निर्माण पश्चात प्रति एकड़ 25 विंटल हो गया है, जिससे किसानों को प्रति एकड़ धान में 10—15 विंटल का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, जिससे उन्हें प्रति एकड़ राशि रु. 31000 से रु. 46500 का लाभ प्राप्त हो रहा है। आज वर्तमान स्थिति में खरीफ फसल की कटाई हो चुकी है, तथा रबी फसल की तैयारी चालू है, जिसमें चना तथा सब्जियों की फसल लेना प्रस्तावित है। आज उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन से उत्पादन में वृद्धि तथा खरीफ, रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसल उत्पादन संभव हो पाया है, जिससे समस्त ग्रामीणों में हर्ष व्यप्त है। निर्माण कार्य से संबंधित समस्त विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी भी इसइनोवेटिव कार्य से अपने आपको गौरान्वित महसूस कर रहे हैं।



भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बैंगलोर के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत सिंह द्वारा ग्राम करहनी में हाइड्रोमेक्निकल पंप सिंचाई योजना हेतु सर्वेक्षण कार्य।



परीक्षण के दौरान सफलतापूर्वक कार्य करता रेम पंप



हाइड्रोमेक्निकल पंप आधारित सिंचाई योजना का आकाशीय चित्र

3. गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पम्पिंग योजना :-

गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पम्पिंग योजना जिला—सुकमा, विकासखण्ड—सुकमा, ग्राम पंचायत केरलापाल, ग्राम गिरदालपारा में स्थित है। यह योजना एक ऐसी योजना है जिसमें परम्परागत ईंधन या ऊर्जा का उपयोग किये बिना नदी सतह से पानी को उद्वहन कर खेतों में पहुंचाया जाता है। योजना 120 हेक्टेयर रबी एवं ग्रीष्म कालीन फसलों के लिए रूपांकित है। इस वर्ष 2023–24 में 80 एकड़ रबी की फसल ली गई है, जिसके विक्रय से 22 कृषकों को कुल लगभग 22 लाख रुपये का आर्थिक लाभ पहुँचेगा।

पूर्व की स्थिति – कृषकों के खेतों में सिंचाई सुविधा नहीं थी, साथ ही बहुत सी जमीन मरहान (पड़त) थी। कृषक वर्षा जल के भरोसे केवल धान की ही फसल लेते थे। इसके बाद कुछ दिन महुआ, टोरा, इमली, तेन्दुपत्ता तोड़ने का काम करते थे। इस तरह लगभग 07–08 महीने उनके पास कोई काम नहीं होता था। धान व वनोपज से वे किसी तरह अपनी जीविका चला पाते थे।

बाद की स्थिति :- कृषकगण शासन प्रशासन के आभारी हैं, जिन्होंने उनकी सुधि ली और गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पम्पिंग योजना का निर्माण कार्य उनके गांव में कराया। प्रशासन द्वारा उनके खेतों का समतलीकरण कराकर फेन्सिंग कार्य भी कराया गया है। फसल कैसे लेना है, यह भी बताया गया है आज वे बहुत खुश हैं कि अब उनके पास बारहो महीने कार्य उपलब्ध हैं। इस वर्ष उन्होंने मूंग, मक्का, उड़द और सब्जियों का उत्पादन किया है।



गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पम्पिंग योजना, जिला—सुकमा

4. लीलागर सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना, मल्हार वि.ख. मस्तूरी, जिला बिलासपुर

बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखण्ड के नगर पंचायत मल्हार एवं जांजगीर—चांपा जिले के विकासखण्ड पामगढ़ के ग्राम मानाडेरा के बीच लीलागर नदी पर निर्मित लीलागर एनीकट में सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्माण किया गया। जिसके दांयी तट में नगर पंचायत मल्हार की 40 हेक्टेयर भूमि एवं बांयी तट में ग्राम मानाडेरा की 20 हेक्टेयर भूमि में सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्माण किया गया है।

सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना से नगर पंचायत मल्हार के 162 कृषकों द्वारा 40 हेक्टेयर एवं ग्राम मानाडेरा के 69 कृषकों द्वारा 20 हेक्टेयर में खरीफ फसल (धान) की सिंचाई पिछले दो बार किया गया एवं पिछले रबी में मल्हार के 14 कृषकों द्वारा 32.50 एकड़ में रबी (सब्जियों) की फसल ली गई तथा ग्राम मानाडेरा के 6 कृषकों द्वारा 16 एकड़ में रबी (सब्जियों) की फसल ली गयी।



मल्हार के प्रगतिशील कृषक ने मई के प्रथम सप्ताह में इस योजना से 1.25 एकड़ क्षेत्र में लौकी तथा 1.25 एकड़ क्षेत्र में डोड़का की फसल लगायी, जिसमें उनको कुल रु. 2 ग 60000/- = रु. 1.20 लाख लागत आयी। फसल का उत्पादन जून द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ होकर अगस्त माह तक होता रहा। कृषक द्वारा इन तीन माह में कुल रु. 2.10 लाख की लौकी तथा रु. 1.60 लाख के डोड़का का विक्रय किया गया। इस तरह कुल रु. 3.70 लाख की सब्जी विक्रय करने से किसान को रु. 2.50 लाख का फायदा हुआ, अर्थात् प्रति एकड़ रु. 1 लाख का लाभ इन ग्रामीण कृषक को हुआ।



5. धामनसरा—मोहड़ एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना, जिला राजनांदगांव

राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 12 कि.मी. दूर शिवनाथ नदी के बांये तट पर धामनसरा—मोहड़ एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना राजनांदगांव जिले एवं विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम जंगलेसर एवं मोहड़ के समीप स्थित है। इस योजना से ग्राम जंगलेसर से 120 हे. एवं ग्राम मोहड़ से 120 हे. रक्बे में खरीफ एवं रबी सिंचाई सूक्ष्म (द्रीप) पद्धति से दोनों ग्रामों के लगभग 273 कृषक लाभान्वित होंगे। योजना से लाभान्वित दोनों ग्रामों के लिए अलग—अलग इंटेरेक्टेव एवं हाऊस फिल्ट्रेशन यूनिट, तकनीकी संचालन कक्ष, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर एवं प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण किया गया है। कमाण्ड क्षेत्र के अंतर्गत कुल पाइप लाइन की लम्बाई 80244 मीटर है।



इस सूक्ष्म सिंचाई योजना में पी.वी.सी. पाइप लाइन भूमिगत होने से जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है, जिससे कृषि भूमि के क्षेत्र में कमी नहीं हो रही है। कृषक अपने पूरी भूमि पर खेती कर सकता है। ड्रीप पद्धति से सिंचाई सुविधा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य कम पानी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई प्रदाय किया जाना है। क्षेत्र के कृषक अपनी सुविधानुसार पारम्परिक फसल चक्र में परिवर्तन कर आधुनिक खेती कर केश-क्राप (नगद-फसल) ले कर लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना का सुचारू रूप से संचालन हेतु दो सक्रिय वाटर-यूजर ग्रुप पंजीकृत किया जा चुका है, जिससे भविष्य में योजना के रखरखाव व संचालन में सुविधा होगी। किसानों को समय-समय पर उन्नत खेती एवं फसल चक्र परिवर्तन हेतु सूक्ष्म सिंचाई योजना के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।



6. महानदी मुख्य नहर के कि.मी. 83.35 पर लखौली (आरंग) रेल्वे स्टेशन के समीप रेल्वे ब्रिज निर्माण कार्य

छ.ग. राज्य की जीवन रेखा मानी जाने वाली महानदी पर निर्मित रविशंकर सागर परियोजना का निर्माण ब्रिटिश शासन में वर्ष 1912–1917 के मध्य 42264 है. में खरीफ सिंचाई के लिए किया गया था। समय—समय पर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि होने से परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता वर्तमान में धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार—भाटापारा, बालोद जिले के 314400 हेक्टेयर क्षेत्र में हो गयी है, जिसके लिए अधिकांश लंबाई में नहर जीर्णद्वार, लाइनिंग एवं स्ट्रक्चर्स का निर्माण नये डिजाईन के अनुसार हो गया है।

महानदी मुख्य नहर में लाइनिंग का कार्य हो जाने के बाद सिंचाई रक्खे में अभूतपूर्व वृद्धि होने के साथ—साथ पानी की बरबादी को कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। महानदी मुख्य नहर के कि.मी. 83.35 पर रेल्वे का ब्रिटिश जमाने में निर्मित रेल्वे पुल के कारण नहर में पूर्ण क्षमता के साथ जल बहाव प्रवाहित नहीं हो पा रहा था, जिसे दूर करने के लिए शासन द्वारा ब्रिज निर्माण हेतु रु. 2633.75 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। रेल्वे एवं जल संसाधन विभाग के विशेष पहल से रेल्वे ब्रिज का निर्माण पूर्णता की ओर है। इस रेल्वे पुल के निर्माण हो जाने से जिला रायपुर, बलौदाबाजार—भाटापारा, बालोद के 479 ग्रामों के अंतर्गत की सिंचाई के लिए महानदी मुख्य नहर में उच्चतम जल स्तर तक पर्याप्त जल बहाव सुगमतापूर्वक प्रवाहित किया जा रहा है।



महानदी मुख्य नहर के कि.मी. 83.35 पर लखौली (आरंग) रेल्वे स्टेशन के समीप रेल्वे ब्रिज निर्माण कार्य

07. अकोला सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना, जिला : बिलासपुर

बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखण्ड के ग्राम अकोला में लीलागर नदी पर निर्मित अकोला एनीकट में सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्माण किया गया जिसके दांयी तट में ग्राम अकोला विकासखण्ड मस्तूरी की 40 है। भूमि में सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्माण किया गया है।

प्रारंभ में सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के पंप हाउस के द्वारा छोड़े गये पानी को अन्डर ग्राउन्ड पाइप लाइन द्वारा किसानों को पानी देकर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कार्य अवधि के दौरान बीच-बीच में कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिससे कृषकों को इस नये तकनीकी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। योजना के अंतर्गत 1 नग जेक वेल, ट्रेनिंग हाल सोलर पेनल मेन पाइप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप सिस्टम का कार्य किया जा चुका है।

योजना के अंतर्गत कमाण्ड एरिया में फेन्सिंग का कार्य शेष है। सौर सिंचाई योजना से ग्राम अकोला के 81 कृषकों द्वारा 40 है। खरीफ एवं 40 है। सूक्ष्म रबी की फसल लिया जावेगा। इस बार खरीफ फसल कटने के बाद रबी में लगभग पूरे 40 हेक्टेयर (100 एकड़े) में कैशक्रांप लगाने की तैयारी की जा रही है।



सोलर पैनल



ग्रामीणों का प्रशिक्षण

08. सामूहिक उद्धरण सिंचाई योजना, जिला : बस्तर

कुम्हली सामूहिक उद्धरण सिंचाई योजना विकासखण्ड लोहण्डीगुड़ा से किसान लगभग 100 एकड़े में धान फसल हेतु सिंचाई सुविधा का लाभ ले रहे हैं इस योजना का कार्य (विधायक निधि) कलेक्टर मद से रु. 5.95 लाख में सम्पन्न करवाया गया, जिससे वर्तमान में 22 कृषकों की 86 एकड़े क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध हो रही है। ग्राम कुम्हली में पार्ट-2 लागत राशि रु. 5.95 लाख से 31 कृषकों की 99 एकड़े में सिंचाई, ग्राम छिन्दगांव कमांक 1 लागत राशि रु. 5.95 लाख से 43 कृषकों की 87 एकड़े में सिंचाई, छिन्दगांव कमांक 2 लागत राशि रु. 8.56 लाख से 36 कृषकों की 108 एकड़े में सिंचाई एवं ग्राम कोडेबेडा में लागत राशि

एवम् सीमान्त कृषकों को तीन फसल लेने हेतु आवश्यक पानी उपलब्ध हो रहा है। कृषकगण धान के अतिरिक्त गेहूं तथा उड़द अथवा मूँग की फसल ले रहे हैं, जिससे कृषकों को लगभग प्रति एकड़ 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष का लाभ हो रहा है, जिससे बस्तर क्षेत्र के कृषि रक्खे में आशातीत सफलता मिलेगी तथा लघु एवम् सीमान्त कृषकों के जीवन में खुशहाली आ गयी है।

“सामूहिक उद्घटन की यह अच्छाई, कम लागत में अधिक सिंचाई”



गागर फीडर (मध्यम) सिंचाई परियोजना, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज



महानदी मुख्य नहर



जल संसाधन विभाग

कार्यालय माननीय मंत्री जी 0771-2510223, 2221223

कार्यालय सचिव 0771-2221977, 2229977

कार्यालय प्रमुख अभियंता 0771-2512951